

रेल रश्मि

अंक - 75 जून 2018

राष्ट्रिय सुरक्षा आरंभ सुरक्षा विशेषांक



पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका



राजीव अग्रवाल
ब्राह्मणभक्त
RAJIV AGRAWAL
General Manager



पूर्वीय रेलवे
खोरखपुर - 713 012 (बंगाल प्रदेश)
North Eastern Railway
Dumka - 713 012 (Jharkhand)
फोन : Phone : 0361-2201041
फैक्स : Fax : 0361-2201208
ईमेल : Email : gnm@nor.rrc.co.in



महाप्रबंधक की अपील

प्रिय रेलकर्मी बहनों एवं आइएमी,

आम इस बात से अवगत हैं कि साप्ताहिक रेल मंत्री ने वर्ष 2018-19 की महिला एवं बाल सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है एवं रेलों में इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में भी सुसंबद्ध कार्यक्रम संघटन एवं अभियान की महान निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है।

इस अभियान का एक अग्रिम सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है तो दूसरा आवागमन रेलकर्मियों के साथ ही नागरिकों एवं आम जनता के भी जागरूकता लाना है। सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल तथा रेल राज्य पुलिस के साथ अन्य विभाग भी तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध बना रहे हैं। जागरूकता के लिए पोस्टरों का प्रदर्शन, नुस्खा-ब्लटकों का आयोजन, प्रचारप्रसारक साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण इत्यादि का कार्य किया जा रहा है।

इस टीवी आवागमन में पूर्ण सफलता लानी ज़रूरी, जब हमारी रेलवे पर प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी जागरूक होगा और अपने कार्यस्थल को पूर्ण सुरक्षित बनाने हुए कामकाज के लिए स्वस्थ वातावरण निर्मित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा एवं इसमें गौरव का बोध करेगा। साथ ही प्रत्येक महिला रेलकर्मी अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति पूरी तरह जागरूक होगी और रेल को आगे बढ़ाने में सार्थकता का अनुभव करेगी।

साथियों, समय की जरूरत है कि आप केवल अपने खरे में न सोचें और किसी भी उत्पीड़ित को देखें तो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। आज हमारे सुरक्षा तंत्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान बहुत आसान है। आप केवल सूचना देकर भी लोगों को नुक़द पहुँचा सकते हैं।

अंत में मैं अपने सभी रेलकर्मी साथियों से अपील करता हूँ कि आप सदैव जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें और साप्ताहिक प्रयासों की एवं साप्ताहिक रेलों की के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें।

सुप्रभासनाथ के साथ,

(राजीव अग्रवाल)

अध्यक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन का संदेश



मुझे यह जानकारी हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि पूर्वोत्तर रेलवे का गुजराण विभाग रेलवे की पॉजिटिव 'रेल रश्मि' का महिला एवं बाल सुरक्षा विशेषांक प्रकाशित कर रहा है। वास्तव में किसी समाज को सभ्यता की पहचान इस बात से होती है कि उस समाज में महिलाएँ एवं बच्चे किसे सुरक्षित हैं और उनके विकास का किन्ता अवसर उपलब्ध है।

हमारे समाज में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, जो देश एवं समाज के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कानून भी उपलब्ध हैं, लेकिन कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और दायित्व-बोध भी जरूरी है। दोनों के समन्वित प्रभाव से ही इसे सफलता मिलेगी।

कहने की जरूरत नहीं कि जागरूकता बढ़ाने एवं दायित्व का बोध कराने में पत्र-पत्रिकाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरा विश्वास है कि 'रेल रश्मि' में प्रकाशित लेख अपने उद्देश्य में सफल होंगे।

हार्दिक शुभकामनाएँ,

अलका अग्रवाल
(अलका अग्रवाल)

अपर महाप्रबंधक का संदेश



माननीय रेल मंत्री 1 वर्ष 2018-19 को महिला एवं बाल सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया एवं रेलों को इसके लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। पूर्वोक्त रेलवे में इस अभियान के अंतर्गत बहुआयामी कार्यक्रम चलाए गए एवं इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसी के तहत पूर्वोक्त रेल की प्रतिष्ठित पत्रिका 'रेल रीश्म' का महिला एवं बाल सुरक्षा विशेषांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी राजभाषा विभाग को सौंपी गई।

मुझे खुशी है कि मुख्य राजभाषा अधिकारी के नेतृत्व में इस विशेषांक का प्रकाशन अत्यंत कम समय में संभव हो रहा है। पत्रिका में प्रायः सभी आयामों को समेटते हुए लेखों का प्रकाशन किया जा रहा है। इन लेखों से न केवल महिला कर्मचारियों की जानकारी बढ़ेगी, बल्कि सभी रेलसुगियों की जागरूकता बढ़ेगी।

मेरे राजभाषा विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं अंक में शामिल सभी रचनाकारों का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।


(एस. एल. वर्मा)

मुख्य संपादक की कलम से....



सर्वप्रथम मैं महिला एवं बाल सुरक्षा एवं सुनिर्वाह समिति बनाने एवं अभियान के माध्यम से बालों के लिए आम बालप्रबंधन की अभियुक्तों में महिला बाल प्रशिक्षण समिति को प्रति आधार प्रकट करता हूँ कि समिति में हम अभियान को अंतर्गत 'रेल रेशिया' के विरोधों के प्रकाशन का निर्णय लिया और हमें इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया।

कहा जाता है कि कोई भी काम ही कर सके सफल होता है, जब समाज भी उसके लिए पैदा होता है। इसलिए काम निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ समाज निर्माण की प्रक्रिया भी निर्णय चलती रहनी चाहिए। यह प्रक्रिया पत्रों, पत्रिकाओं, संवाद एवं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ही संभव होती है।

'रेल रेशिया' के इस अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा के कामों पर लोगों को प्रेरित करने वाले लेखों का प्रकाशन किया जा रहा है। पूर्वोक्त रेलवे में महिला कर्मियों को उपलब्धियों को प्रकाश करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से संवेदनशील मन को व्यक्त करने के लिए, रचनात्मक साहित्य का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि यह प्रयास महिला एवं बाल सुरक्षा अभियान को व्यापक बनाने में सक्षम साबित होगा। मैं बालप्रबंधन समिति, आम बालप्रबंधन एवं अभियुक्त पूर्वोक्त रेलवे महिला कर्मिका संगठन को प्रति आधार व्यक्त करता हूँ। आपकी संदेशों में पत्रिका की उपयोगिता बढ़ रही है। मैं अन्य रचनाकारों को प्रति भी आधार व्यक्त करता हूँ जिसका अमूल्य योगदान प्राप्त हुआ। भाइयों के मुझों को प्रीति की होगी।

हार्दिक शुभकामनाएँ

(पुरुषोत्तम दास शर्मा)

मुख्य संपादक अभियान

रेल रश्मि

त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

अंक : 75

जून 2018

संस्थापक

राजीव अग्रवाल

सहसंस्थापक



मुख्य संपादक

प्रसोत्तम दास शर्मा

मुख्य संपादक अधिकारी



सह-मुख्य संपादक

जे. पी. सिंह

सह-मुख्य संपादक अधिकारी



संस्थापक

शुक्ल कुमार श्रीधामधर

संस्थापक अधिकारी



सह-संस्थापक संपादक अधिकारी

सुनील कुमार

संस्थापक अधिकारी सहायक



का:

राजभावा विहार

मुकेश आर्यका सीमा

पुर्वोत्तर क्षेत्र, रायबरेली, उत्तर प्रदेश

दूरभाष - 628662 एवं 628659 (रायबरेली)

9351122077/78

E-mail - senior09@gmail.com

इस अंक में

विषय	रचयिता	पृष्ठ नं.
पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाएं एवं बाल	संजय दास	7
सुरक्षा के लिए बालों का कटाव		
महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के	संजय	9
लिए अभियुक्तों के सुरक्षा काल (लेख)		
पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला-कल्याण	सुनील शर्मा	11
समाज-संगठन		
महिलाओं के सामाजिक जीवन में पशुधन	अनामिका सिंह	13
महिला आंदोलन की भूमिका (लेख)		
कल्याण-महिला सुरक्षा के	स्वाति दास	17
एक परिचय (लेख)		
पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला कर्मियों और	संजय शर्मा	20
उनके बच्चों के लिए कार्यवाही (लेख)		
पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान	श्याम बाबू शर्मा	22
महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण	संजय शर्मा	25
कानून (लेख)		
नारी (आलेख)	कुमुद श्रीवास्तव	26
नरक : नारी शक्ति की नारी की	सुनील कुमार	27
अपराध-कल्याण के एक अनुभव पर	संजीव कुमार	29
कटी (कहानी) (..... सप्ताह)	बन्नी भंडारी	30
हैदराबाद (कहानी) (..... सप्ताह)	प्रेमचंद	32

नि: शुल्क वितरण हेतु : (पत्रिका के वितरण प्रकाशन हेतु ई-मेल जिला एवं विभाग सचिवों के पास है।)

पूर्वोत्तर रेलवे में महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

संजय यादव

यह हमारे लिए अत्यंत

गर्व का विषय है कि माननीय रेलमंत्री ने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए वर्ष 2018-19 को रेलवे में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है। माननीय मंत्री ने वर्ष के दौरान इस निमित्त व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया एवं सदस्य (यातायात) को इसकी विशेष निगरानी का दायित्व सौंपा है।

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक महोदय ने इस कार्य के लिए मंत्री जी की भावनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया एवं पहलकदमी करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे पर महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा संबंधी कार्य-योजना की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष अपर महाप्रबंधक एवं इसके सदस्य-प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (एफ एम) एवं मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक हैं। इस उच्च-स्तरीय समिति की निगरानी में पूर्वोत्तर रेलवे में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

- मंडल स्तर पर भी मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। मंडल स्तर पर किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जा रही है।
- हेल्पलाइन नं-182 बच्चों एवं महिलाओं को समर्पित है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की सुरक्षा से संबंधित आवश्यकता की स्थिति में प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अखिल भारतीय सुरक्षा हेल्पलाइन को और उन्नत व महिला मित्रवत बनाया गया है।
- महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के मामले में तत्काल राहत पहुँचाने के लिए रेलकर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है।
- भारतीय रेल पर लागू महिला बचाव एवं पुनर्वास योजना को और सुदृढ़ करने एवं इसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
- रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में महिला रेलकर्मियों एवं महिला यात्रियों के लिए अलग से टायलेट (प्रसाधन) एवं चेंजिंग कक्ष बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्क्स प्रोग्राम में शामिल करते हुए इसे और व्यापक बनाने की

योजना है।

- महिला यात्रियों की सुरक्षा के विविध आयामों को चित्रित करते हुए पोस्टरों एवं साइनेज को रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में मुख्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
- महिला सुरक्षा के प्रति रेलकर्मियों एवं जनता को संवेदनशील बनाने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे सांस्कृतिक संगठन, स्काउट गाइड एवं गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है।
- महिलाओं एवं बच्चों के लिए उपलब्ध हेल्प लाइन के संबंध में जागरूक बनाने के लिए स्टेशनों पर नियमित रूप से घोषणाएँ की जा रही हैं।
- मंडल एवं क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर महिला कर्मचारियों से व्यापक परिचर्चा का नियमित आयोजन किया जा रहा है, जिससे उनकी समस्याओं का पता चले और तदनुसार नीतियाँ बनाई जाएँ।
- पूर्वोत्तर रेलवे की पत्रिका 'रेल रश्मि' का अगला अंक महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित करने का निर्णय लिया गया।
- महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया गया।
- भारतीय रेलों पर वर्तमान में देश में कई ऐसे स्टेशन हैं, जिनका प्रबंधन पूर्णतः महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। अगले तीन महीने में इनकी संख्या 100 तक बढ़ाई जानी है। पूर्वोत्तर रेलवे पर दस स्टेशनों को चिह्नित कर (लखनऊ मंडल-4, वाराणसी मंडल-03 एवं इज्जतनगर मंडल-03), इनका प्रबंधन केवल महिलाओं द्वारा किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
- महिला यात्रियों में सुरक्षा का आभास पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर महिला सुरक्षा कार्मियों की भर्ती की योजना है। भारतीय रेल दस हजार महिला सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करने की प्रक्रिया में है।
- महिलाओं के लिए चिह्नित सीटों/कोचों/ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की गई है। महिलाओं के लिए चिह्नित कोचों को भिन्न रंग में रखने एवं उन्हें ट्रेन के बीच में रखने का निर्णय लिया गया है। महिला कोचों की खिड़की में वायर मेश (wire mesh) लगाए जाने हैं एवं कोचों में पैनिक बटन लगाने का निर्देश उत्पादन इकाइयों को दिए गए हैं।
- लंबी दूरी की ट्रेनों में महिला एवं पुरुष का मिश्रित कू तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

- रेलवे यात्रियों को जागरूक बनाने के लिए क्षेत्रीय रेल के सांस्कृतिक संगठनों द्वारा प्लेटफार्म पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
- पूर्वोत्तर रेलवे में ए-1 कोटि के तीनों- लखनऊ, गोरखपुर एवं छपरा पर चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।
- स्टेशनों पर सी सी टी वी कैमरे इस तरह लगाए जा रहे हैं कि ट्रेन के रूकने के दौरान महिला कोच के सामने की गतिविधियों पर दृष्टि रखी जा सके। पूर्वोत्तर रेलवे के तीन स्टेशनों, लखनऊ-48, गोरखपुर-54 एवं छपरा-36 सी सी टी वी कैमरा लगाए गए हैं। अन्य स्टेशनों के सभी प्लेटफार्मों पर चरणबद्ध ढंग से लगाए जा रहे हैं।
- पूर्वोत्तर रेलवे में निर्भया फंड के अंतर्गत 33 स्टेशनों पर सी सी टी वी लगाए जा रहे हैं। बच्चों एवं महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को पकड़ने एवं सजा

दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

रेलवे के महाप्रबंधक के कुशल नेतृत्व एवं गहन निगरानी में सभी विभाग व्यापक कार्रवाई करते हुए महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए न केवल स्वयं जागरूक एवं प्रयत्नशील हैं बल्कि रेल यात्रियों से लेकर रेलवे परिसर में आने-जाने वाले सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित ही इस प्रतिबद्धता से हम माननीय रेलमंत्री के संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे व अपनी सम्मानित महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। ❖❖

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
संपर्क: 9794840055

कृष्णा सोबती

आपका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात (पाकिस्तान) में हुआ था। आपकी शिक्षा-दीक्षा दिल्ली, शिमला और लाहौर में हुई। आपने 50 के दशक से लेखन प्रारंभ किया। आपकी पहली कहानी 'लामा' 1950 में प्रकाशित हुई। आप मुख्यतः उपन्यास, कहानी, संस्मरण विधाओं में लिखती हैं।

आप हिंदी की कल्पितार्थ (फिक्शन) एवं निबंध लेखिका हैं। अपनी संयमित अभिव्यक्ति और सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। आपने हिंदी कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। आपने भाषा संस्कार के घनत्व, जीवंत प्रांजलता और संप्रेषण से वर्तमान समय के कई पेचीदा सत्य को उजागर किया है। आपने इतिहास को जिया है। देश के विभाजन का दर्द सहा है। देश को आजाद होते, संविधान का निर्माण होते देखा है।

आपकी कहानियों को लेकर काफी विवाद हुआ। विवाद का कारण इनकी मांसलता है। स्त्री होकर भी ऐसा साहसी लेखन करना अन्य लेखिकाओं के लिए संभव नहीं है। आपकी कृतियों में निर्भीकता, खुलापन और अनौपचारिकता स्पष्टतया परिलक्षित होती है। नारी जीवन की विसंगतियों का स्पर्श कर स्त्री-चेतना का स्वर गुंजायमान करने में इनका विशिष्ट स्थान है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर पकड़ रखने वाली सोबती जी का रचनात्मक पक्ष शब्द भंडार मुहावरों और अर्थाभिव्यंजना की दृष्टि से प्रौढ़ है।

आपको 1980 में 'जिंदगीनामा' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, 1999 में कछा चूड़ामणि पुरस्कार, 2000-01 में शलाका पुरस्कार के अतिरिक्त मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको 'मित्रो मरजानी' के लिए 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

आपकी प्रमुख कृतियाँ-

मित्रो मरजानी, डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, यारो के यार, तिन पहाड़, बादलों के घेरे में, मेरी माँ कहाँ, सिक्का बदल गया (कहानियाँ), जिंदगीनामा, दिलो दानिश, ऐ लड़की (उपन्यास), हम हशमत (संस्मरण), समय सरगम जैनी मेहरबान सिंह, शब्दों के आलोक में (रचनात्मक निबंध) आदि।

आपकी लंबी कहानी 'ऐ लड़की' का स्वीडन में नाट्य मंचन भी हो चुका है।

आपकी 'गुजरात से गुजरात' (संस्मरण) किताब प्रकाशनार्थ है।



लेख

महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रेलवे सुरक्षा बल

राजाराम

पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे सुरक्षा

बल के अधिकारी एवं जवान महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारा उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर रेलवे के संपूर्ण कार्यक्षेत्र में महिला यात्रियों एवं बच्चों को किसी संकट का सामना न करना पड़े। मंडलों, स्टेशनों एवं ट्रेनों में हमारे जवान अपनी ड्यूटी करते समय इस कार्य के प्रति निरंतर जागरूक रहते हैं। मैं इस संबंध में कुछ उपलब्धियों की चर्चा करना चाहूँगा।

वर्ष जनवरी 2017 से दिसंबर 2017

इज्जतनगर मंडल में 60 बच्चों को बरामद किया गया 52 बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया व 08 बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया है।

लखनऊ मंडल में 390 बच्चों को बरामद कर 79 बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया व 305 बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया है तथा 06 बच्चों को महिला थाना को सुपुर्द किया गया है।

वाराणसी मंडल में 81 बच्चों को बरामद कर 51 बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया व 30 बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में कुल 531 बच्चे रेस्क्यू किए गए जिसमें से 182 बच्चों को उनके परिजनों, 343 बच्चों को चाइल्ड लाइन, 06 बच्चों को सिविल पुलिस को सुपुर्द किया गया।

वर्ष जनवरी 2018 से मई 2018 तक

इज्जतनगर मंडल में 31 बच्चों को बरामद किया गया 26 बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया व 05 बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया है।

लखनऊ मंडल में 230 बच्चों को बरामद कर 45 बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया व 180 बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया है तथा 05 बच्चों को महिला थाना को सुपुर्द किया गया।

वाराणसी मंडल में 80 बच्चों को बरामद कर 55 बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया व 25 बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में कुल 341 बच्चे रेस्क्यू किए गए जिसमें से 126 बच्चों को उनके परिजनों को, 210 बच्चों को चाइल्ड लाइन, 05 बच्चों को सिविल पुलिस को सुपुर्द किया गया।

वर्ष जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 तक महिला की बरामदगी

पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में 25 महिला को बरामद किया गया, 14 महिलाओं को परिजन को सुपुर्द किया गया व 05 महिला को महिला सुधार-गृह व 06 महिला को महिला थाना को सुपुर्द किया गया है।

वर्ष जनवरी 2018 से मई 2018 तक

पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में 22 महिला को बरामद किया गया, 14 महिलाओं को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया व 04 महिला को महिला सुधार-गृह व 04 महिला को महिला थाना को सुपुर्द किया गया है।

रेसुब द्वारा महिला के प्रसव पीड़ा में सहायता

पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों में वर्ष 2017-18 (मई तक) में 06 महिला को प्रसव पीड़ा में सहायता प्रदान की गई व 01 महिला का इलाज कराया गया।

पूर्वोत्तर रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा-व्यवस्था हेतु गाड़ियों में रेसुब द्वारा निम्न कार्य योजना के तहत कार्यवाही की जा रही है-

1. स्टाफ उपलब्धता के अनुसार चिह्नित महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस/सवारी गाड़ियों को रेसुब द्वारा स्कोर्ट किया जा रहा है।
2. महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेसुब अधिकारियों द्वारा गाड़ियों के महिला कोचों की औचक चेकिंग की जा रही है।
3. रेसुब स्कोर्ट पार्टी को अधिकारियों द्वारा महिला यात्रियों की विशेष सुरक्षा हेतु ब्रीफ किया जा रहा है।
4. महिला कोचों में अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।
5. महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण गाड़ियों में महिला कोचों का स्कोर्ट रेसुब की महिला बल सदस्यों से कराया जा रहा है।
6. रेसुब उपलब्ध स्टेशनों पर ट्रेन अटेंडेंस ड्यूटी में लगाये जा रहे बल सदस्यों द्वारा भी महिला कोचों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
7. प्रत्येक स्टेशनों पर रेसुब द्वारा मेगाफोन से उद्घोषणा कर महिला यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है।
8. महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु राजकीय रेल पुलिस/सिविल

पुलिस एवं रेल के अन्य विभागों के साथ समय-समय पर समन्वय स्थापित किया जाता है। सुरक्षा हेल्प लाइन-182 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

9. सुरक्षा हेल्प लाइन-182 को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु मंडलों में वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर से पत्राचार किया गया है। साथ ही एयरटेल एवं बीएसएनएल के संबंधित अधिकारियों से चेजिंग की गयी।

10. लखनऊ मंडल में मोबाइल ऐप ओमेन सिक्यूरिटी ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप से महिला यात्रियों को जोड़ने एवं उन्हें जागरूक करने का कार्य श्रीमती आरती पाठक, निरीक्षक मंडल रिजर्व रेसुब लखनऊ एवं श्रीमती अंजुलता द्विवेदी, निरीक्षक (प्रशासन)/ रेसुब गोरखपुर के द्वारा किया जा रहा है।

11. वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में चलाये जा रहे प्रोजेक्ट सक्षम कोर्स के माध्यम से बल सदस्यों को महिला यात्रियों एवं बच्चों की सुरक्षा के संबंध में स्टाफ को जागरूक किया जा रहा है तथा पोस्टों पर माउंटिंग/डिस-माउंटिंग के समय स्टाफ को ब्रीफ किया जा रहा है।

12. लखनऊ जं. रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन द्वारा एक कमरा 'एहसास' नामक संस्था को उपलब्ध कराया गया है जिनके द्वारा रेसुब के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों को रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। खोये-पाये बच्चों एवं महिलाओं को सम्मानपूर्वक उनके परिजनों/सामाजिक संस्थाओं को सुपुर्द करने की कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

13. महिला एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु पोस्टरों को प्लेटफार्म एवं गाड़ियों में महिला यात्रियों में बाँटकर जागरूक किया जा रहा है।

14. मंडल के सभी रेसुब पोस्ट प्रभारी निरीक्षकों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के सामाजिक संस्थाओं से समन्वय कर महत्वपूर्ण

स्टेशनों पर नुक्कड़-नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर महिला यात्रियों एवं बच्चों की सुरक्षा के संबंध में यात्रियों को जागरूक करने की कार्यवाही की जा रही है।

15. रेसुब द्वारा महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के संबंध में लगातार मेगाफोन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रेसुब पुरुष/महिला बल सदस्यों द्वारा महिला यात्रियों से संपर्क कर सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी दी जा रही है।

16. पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ जं., छपरा जं. एवं गोरखपुर स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जहाँ इनके माध्यम से महिला कोचों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

17. पूर्वोत्तर रेलवे में महत्वपूर्ण गाड़ियों के महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु महिला बल कर्मियों द्वारा स्कोर्ट कराया जा रहा है।

18. पूर्वोत्तर रेलवे में लगातार अभियान चलाकर महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। महिला कोचों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रेल अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत विधिक कार्यवाई की जा रही है।

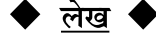
19. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेसुब मित्र की तैनाती कर महिलाओं व बच्चों की तस्करी के बावत आवश्यक आसूचनाएँ ली जाती हैं। महिलाओं व बच्चों की तस्करी के गिरोह के सदस्यों के बारे में आसूचना इकाइयों एवं स्थानीय पुलिस से निरंतर समन्वय किया जाता है।

20. ऐसे अपराध में सल्लिप्त अपराधियों का पूर्ण बायोडाटा प्राप्त कर गहन निगरानी करायी जा रही है। ❖❖

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

सुभद्रा कुमारी चौहान

हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थीं। आपकी दो कविता-संग्रह तथा तीन कथा-संग्रह प्रकाशित हुए हैं, परंतु आपकी प्रसिद्धि 'झाँसी की रानी' के कारण मुख्य रूप से है। आप राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं। आप स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातनाएँ सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी के रूप में व्यक्त किया है। आपकी भाषा सरल और काव्यात्मक होने के कारण हृदयग्राही रही हैं। जर्मींदार परिवार में पैदा होने के बावजूद इन्हें बाल्यकाल से ही कविताएँ रचने का शौक था। 1919 में खंडवा (म.प्र.) के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के उपरान्त आप जबलपुर आ गईं। 1921 में गाँधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली आप प्रथम महिला थीं। 'बिखरे मोती' आपका पहला कहानी संग्रह है। इसमें कुल 15 कहानियाँ हैं। इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है। अधिकांश कहानियाँ नारी विमर्श पर केंद्रित हैं। आपका दूसरा कथा-संग्रह- उन्मादिनी 1934 में प्रकाशित हुआ। 'सीधे-सादे चित्र' आपका तीसरा व अंतिम कथा-संग्रह है। आपने कुल 46 कहानियाँ लिखीं और अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य-जगत में सुप्रतिष्ठित हुईं। आपकी कविता संग्रह- मुकुल, त्रिधारा, प्रसिद्ध पंक्तियाँ, झाँसी की रानी, यह कदंब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे आदि हैं।



पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन/गोरखपुर

सुजाता सिंह

महिला कल्याण संगठन

गतिविधियाँ भारतीय रेलवे के लिए बहुत गर्व का विषय रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन, गोरखपुर एक समाज-सेवी संगठन है जिसे रेलवे कर्मियों की पत्नियों द्वारा रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाता है। यह रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज एंड चिट्स गोरखपुर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत है। संगठन का मुख्य उद्देश्य रेलकर्मियों और उनके परिवारों की भलाई के लिए काम करना है। रेलकर्मियों एवं उनके परिवारों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु, पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन, गोरखपुर कल्याणकारी कदमों के प्रोत्साहन एवं उत्थान हेतु सतत सक्रिय है। इसी वास्ते इस क्षेत्र के सामाजिक संगठनों के बीच में पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन, गोरखपुर का अपना एक अद्वितीय स्थान है और इसकी तीन संबद्ध इकाइयाँ क्रमशः वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर मंडल में भी है।

गतिविधियाँ जो पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित हैं-

1. स्वर्ण जयंती प्राथमिक विद्यालय

उपर्युक्त विद्यालय 02 अक्टूबर, 1997 में एलकेजी से पाँचवी कक्षा तक हिंदी माध्यम प्राथमिक विद्यालय के रूप में बौलिया रेलवे कालोनी, गोरखपुर में खोला गया। वर्तमान में यह अंग्रेजी माध्यम से संचालित है। प्रारंभ में इस विद्यालय में मात्र 75 विद्यार्थी थे, परंतु अब इन विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 266 हो गई। दिनांक 01.04.2004 से एक प्ले-ग्रुप कक्षा का भी संचालन प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस विद्यालय में 20 कर्मी (01 मुख्य अध्यापिका, 15 अध्यापिका एवं 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मी) हैं, जो पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन गोरखपुर द्वारा नियुक्त की गई हैं।

2. नरवो डिजनी वर्ल्ड स्कूल

उपर्युक्त विद्यालय 05 मई, 1999 को एलकेजी एवं यूकेजी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोला गया जो पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारी क्लब, गोरखपुर के उत्तर तरफ अवस्थित है। प्रारंभ में इस विद्यालय में मात्र 13 बच्चे ही थे, परंतु समय के साथ इसे विस्तारित कर कक्षा पाँच तक कर दिया गया और वर्तमान में विद्यार्थियों की

(01 मुख्य अध्यापिका, 14 सहायक अध्यापिका और 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मी) हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन गोरखपुर द्वारा नियुक्त की गई हैं।

3. वात्सल्य शिशु सदन (क्रेच)

यह क्रेच 02 अक्टूबर, 1999 को उन कर्मियों (रेलवे/गैर-रेलवे) के बच्चों की देखभाल के लिए खोला गया था जो अपने पति/पत्नी के साथ रेलवे या अन्य संगठनों में कार्यरत हैं। प्रारंभ में 06 बच्चों से इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान में इनकी कुल संख्या 07 है। इसे 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों द्वारा चलाया जाता है जो पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन गोरखपुर द्वारा नियुक्त की गई हैं। एक विंडो एयर कंडीशनर, एलईडी टीवी और माइक्रोवेव ओवन के साथ शिशु सदन को नवीनीकृत भी किया गया है।

4. आटा मसाला चक्की

आटा मसाला चक्की कौवाबाग रेलवे कालोनी में चल रही है और एक आटा चक्की बौलिया रेलवे कालोनी में चल रही है। कुल कर्मचारियों की संख्या 6 है जिसमें एक प्रबंधक 02 आटा चक्की चालक और 3 महिला सहायक हैं।

5. सरसों तेल मिल

रेलकर्मियों की मांग पर 26 जनवरी, 2007 को आटा मसाला चक्की के साथ सरसों तेल मिल खोला गया। रेलकर्मियों के साथ-साथ आम लोगों को शुद्ध सरसों के तेल की आपूर्ति की जा रही है। कुल कर्मियों की संख्या 03 है जिसमें 01 तेल मशीन चालक और 02 सहायक हैं।

6. फूड प्लाजा/ एसी कोच रेस्तराँ

रेलवे संग्रहालय हेरिटेज प्लाजा में फूड प्लाजा की स्थापना की गई जिसे 23.10.2007 को खोला गया था।

7. कशिश क्रिएशंस

उपर्युक्त केंद्र 02 जून, 2016 को खोला गया है। यह वात्सल्य शिशु सदन के पास स्थित है। महिलाओं एवं पुरुषों के परिधान यहाँ उचित दाम पर सिले जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ एक टेलर मास्टर उपलब्ध है।

8. लावण्य ब्यूटी पार्लर

इसे पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारी क्लब गोरखपुर के निकट 02.07.2016 को खोला गया, जहाँ नियमित कार्य के अलावा प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारी की संख्या 01 है।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

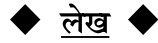
- ➔ पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन के स्वर्ण जयंती स्कूल एवं डिजनी वर्ल्ड स्कूल गोरखपुर हेतु ग्रीष्मकालीन हॉबी कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। दोनों स्कूलों हेतु रेल संग्रहालय गोरखपुर में एक पिकनिक की व्यवस्था भी की गई। एक कैंसर के मरीज को रु. 10,000/- की आर्थिक सहायता एवं पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन के कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त बच्चे को रु. 10,000/- की सहायता दी गई है, जिससे उनका बेहतर इलाज हो। बच्चों एवं स्कूल की बेहतरी के लिए पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन के डिजनी वर्ल्ड स्कूल को तीन सीटों वाले 20 नये बेंच और टेबल प्रदान कर पुनर्संजित किया गया।
- ➔ उच्च तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे समूह 'घ' रेलवे कर्मचारियों के 3 बच्चों को प्रत्येक को रु.10,000/- की शैक्षिक सहायता दी गई।
- ➔ गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक सामाजिक सेवा के रूप में चलाए जा रहे 'अंत्योदय कल्याण केंद्र पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर' को रु.10,000/- की आर्थिक सहायता दी गई।
- ➔ रु. 25,000/- का नकद पुरस्कार 'पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स गोरखपुर' को 05 से 09 अक्टूबर 2017 के बीच पूर्वोत्तर रेलवे सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में अखिल भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता शिविर के आयोजन की सफल व्यवस्था के लिए दिया गया।
- ➔ विश्व पर्यावरण दिवस पर रु. 9,010/- कीमत की एक कंपोस्ट मेकर मशीन उन रेलवे कर्मचारियों को दान की गई जो अपने अवकाश समय कार्यालय परिसर के आस-पास हरियाली को बनाये हुए हैं एवं औषधीय पौधों को उगा रहे हैं।
- ➔ 15 अगस्त, 2017 को एक सोनी टीवी सेट तथा 26 जनवरी, 2018 को एक पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर को

- अंतरंग मरीजों के कल्याणार्थ दान किया गया। इसके अतिरिक्त रु. 17,625/- कीमत की विभिन्न प्रकार के खेल-खिलौने भी चिकित्सालय को दान किए गए।
- ➔ श्रम दिवस (01 मई, 2018) को पूर्वोत्तर रेलवे के उन उत्कृष्ट कार्य करने वाले 37 कर्मचारियों को प्रत्येक को रु. 2,000/- का नकद पुरस्कार देकर किया गया जो बेहद थकाऊ एवं कठिन परिस्थितियों में श्रमसाध्य कार्य पर लगे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय के 22 कर्मचारियों को भी उनके उत्कृष्ट काम के लिए प्रत्येक को रु. 1,000/- का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
 - ➔ इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्वोत्तर रेलवे की 11 उत्कृष्ट महिला कर्मचारियों को मुख्यालय स्तर पर सम्मानित किया गया। एक महिला रेलवे कर्मचारी को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु रेलवे महिला कल्याण केंद्रीय संगठन/नई दिल्ली स्तर पर सम्मानित किया गया।
 - ➔ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (08 मार्च, 2018) को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर दस्तक परियोजना के तहत स्थापित किया गया।
 - ➔ निःशुल्क रंगोली कार्यशाला का आयोजन पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारी क्लब गोरखपुर में संस्कार भारती, पुणे की मदद से रेलवे कर्मचारियों और उनके बच्चों के कल्याण के लिए आयोजित की गई।

अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि संगठन ने कल्याणकारी उपायों को व्यापक आयाम दिया है, इससे रेल कर्मियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार परिलक्षित हो रहा है। मुझे विश्वास है कि संगठन आने वाले वर्षों में भी इसी उत्साह के साथ अपने प्रयासों को जारी रखेगा। ❖❖

सचिव
पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन
गोरखपुर

जीवन की कला को,
अपने हाथों से साकार कर,
नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है,
नारी का अस्तित्व ही
सुंदर जीवन का आधार है।



लेख

महिलाओं के सशक्तिकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

अनामिका सिंह

हर लड़ाई जीत कर दिखाऊँगी
मैं अग्नि में जलकर भी जी जाऊँगी
चंद लोगों की पुकार सुन ली
मेरी पुकार न सुनी
मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ
बेटा नहीं पर बेटी हूँ।

भारत के नवजागरणकाल में स्त्रियों के अस्तित्व और व्यक्तित्व की रक्षा एवं विकास के व्यापक अभियान छेड़े गए। यदि उन वर्षों में विकास की प्रक्रिया गतिशील नहीं होती तो बीसवीं सदी की अधिकांश कथा और कथेतर साहित्य और ही तरीके से लिखा गया होता। इस पृष्ठभूमि के चलते बीसवीं शताब्दी को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि इसमें स्त्री की स्थिति और उपस्थिति पर लगातार विचार हुआ। बेशक इसकी पहल उन्नीसवीं शताब्दी के समाज-सुधारकों ने की। धार्मिक कर्मकांड की अग्निशलाका से स्त्री के प्रारब्ध की जो पोथी लिखी गई उस पर बड़े-बड़े विचारकों ने प्रश्नवाचक चिह्न लगाए। राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रणडे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गोखले, पंडिता रमा बाई आदि ने महिला शिक्षा का समर्थन किया और महिला पक्षधरता को एक प्रबल संभावना के रूप में देखा।

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में कई बड़े बदलाव का सामना किया है। वर्तमान परिवेश में भारत में सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के विकास को एक नई दिशा देना है। आज महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के विकास हेतु सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं जैसे- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, महिला और बेटी की सुरक्षा के लिए अलर्ट बटन की सुविधा, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण और रोजगार योजना, महिलाओं के लिए राज्य और जिला महिला सम्मान एवं सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि। सरकार ने सफलतापूर्वक इन योजनाओं पर कार्य किया है, पर उन योजनाओं पर अभी और कार्य करना बाकी है।

पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए बड़ी संख्या में कानून पारित हुए हैं। स्वतंत्र भारत में महिला का सम्मान लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार(अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने

(अनुच्छेद 15/1), अवसर की समानता(अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन(अनुच्छेद 39/घ) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15/3), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 51/ए/ई) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है। (अनुच्छेद-42)

भारत सरकार ने 2001 को महिलाओं के सशक्तिकरण (स्वशक्ति) वर्ष के रूप में घोषित किया था। महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गई थी। न्यायालय ने शिकायतों से बचने और इनके निवारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किया। बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन दिशा-निर्देशों को नियोक्ताओं के लिए एक आचार संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। आइए, अब हम महिलाओं के हक के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की स्थापना और उसके कार्य के संबंध में कुछ चर्चा कर लेते हैं-

महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ऐसे कानून बनाये गये, जिनसे उन्हें बराबर का अधिकार मिले और अपने प्रति होने वाले किसी भी जुल्म के खिलाफ सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत कर सकें।

भारत में महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति स्टेट्स ऑफ़ वुमेन इन इंडिया ने लगभग दो दशक पहले शिकायतों के निपटान के लिए निगरानी कार्यों की पूर्ति तथा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक विकास को गतिशील करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अनुशंसा की।

महिलाओं की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988-2000) के साथ-साथ अनुक्रमिक समिति/आयोग/नीति ने महिलाओं के लिए शीर्ष निकाय के विधान की अनुशंसा की।

वर्ष 1990 के दौरान केंद्र सरकार ने एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ मिलकर आयोग की प्रस्तावित संरचना, कार्य, शक्तियों के संबंध में चर्चा की। मई 1990 में बिल को लोकसभा में लाया गया।

जुलाई 1990 में बिल के संदर्भ में मानव संसाधन मंत्रालय ने सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कांफ्रेंस का

आयोजन किया। अगस्त 1990 में सरकार ने अनेक संशोधन किए और नागरिक अदालत के साथ आयोग को अधिकृत करने के लिए नए प्रावधान लाए। विधेयक पारित किया गया और 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

पहले आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को अध्यक्ष के रूप में श्रीमती जयंती पटनायक के नेतृत्व में हुआ। दूसरे आयोग का गठन जुलाई 1992 को अध्यक्ष के रूप में डा. (श्रीमती) मोहिनी गिरी के नेतृत्व में हुआ। तीसरे आयोग का गठन जनवरी 1999 को अध्यक्ष के रूप में श्रीमती विभा पार्थसारथी की देखरेख में हुआ। चौथे आयोग को जनवरी 2002 में गठित किया गया और सरकार ने डा. पूर्णिमा आडवानी को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। पाँचवें आयोग को फरवरी 2005 में गठित किया गया और सरकार ने डा. गिरिजा व्यास को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। छठे आयोग का गठन अगस्त 2011 में किया गया और अध्यक्ष के रूप में श्रीमती ममता शर्मा को मनोनीत किया गया। सातवें आयोग का गठन 2014 में किया गया और सुश्री ललिता कुमारमंगलम को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया।

इसप्रकार, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 (भारत सरकार की 1990 की अधिनियम सं. 20) के अंतर्गत जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी-

►► आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबधित सुरक्षा उपायों की जाँच और परीक्षा करना है। साथ ही, उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना और संविधान तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना है।

►► इसके अलावा संशोधनों की सिफारिश करना तथा ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता अथवा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना है।

►► शिकायतों पर विचार करने के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना शामिल है।

►► भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना तथा उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना इसके प्रमुख कार्य हैं।

रेल रश्मि

►► साथ ही, कारागार, रिमांड गृहों जहाँ महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है आदि का निरीक्षण करना और जहाँ कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग करना इनके अधिकारों में शामिल है। आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षोपायों से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

अपने जनादेश के मुताबिक, आयोग ने महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं और रिपोर्ट के अंदर वर्ष भर उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। आयोग ने लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्यों का दौरा किया और महिलाओं और उनके सशक्तिकरण के मूल्यांकन के लिए 'जेंडर प्रोफाइल' तैयार किया। इन्होंने बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त कीं और अपनी ओर से अनेक मामलों में शीघ्रता से न्याय के काम किए। इसने बाल विवाह का मुद्दा उठाया, वैधानिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, पारिवारिक महिला लोक अदालतों की स्थापना और कानूनों जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1990, पीएनडीटी अधिनियम 1994, इंडियन पैनल कोड 1860 और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की समीक्षा की ताकि उन्हें अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। आयोग ने वर्कशॉप/कंसल्टेशन, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया, लैंगिक जागरूकता के लिए वर्कशॉप/सेमिनार का आयोजन और मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा इत्यादि के खिलाफ जन-अभियान चलाए ताकि इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता लाई जा सके।

आयोग का गठन, खंड 3

1. केंद्र सरकार शक्ति प्रदान करने और इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में एक निकाय का गठन करेगी। आयोग में शामिल होंगे-

(क) महिलाओं के हित के लिए समर्पित एक अध्यक्ष, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(ख) पाँच सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो योग्य, एकीकृत और स्थायी हों और जिन्हें कानून अथवा विधान, व्यापार संघ, महिलाओं की उद्यमिता प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान (महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव रहा हो, बशर्ते कि कम-से-कम एक सदस्य क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होंगे।

(ग) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक मेंबर-सेक्रेटरी जो-

i) प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना अथवा समाजशास्त्रीय गतिविधियों के विशेषज्ञ होंगे, अथवा

ii) एक अधिकारी जो संघ लोक सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होंगे अथवा जो उपयुक्त अनुभव के साथ संघ के अंतर्गत सिविल पद धारण करते हैं।

आयोग का आदेश पत्र, खंड 10

आयोग निम्नलिखित में से सभी अथवा कोई एक कार्य संपादित करेगा, यथा-

क) संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान

किए गए संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जाँच तथा पड़ताल

ख) वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा ऐसे ही अन्य मदों पर जिन्हें आयोग सही मानता है, उन सुरक्षा की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट सौंपना

ग) केंद्र या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए तय प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा रिपोर्ट सौंपना

घ) महिलाओं से संबंधित संविधान तथा अन्य कानूनों के प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा तथा संशोधन का सुझाव ताकि उन्हें और बेहतर बनाया जा सके

ङ) महिलाओं से संबंधित संविधान तथा अन्य कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले को उचित अधिकारियों द्वारा देखना

च) शिकायतों की जाँच कर अपनी तरफ से निम्न मामलों से जुड़ी नोटिस भेजना-

i- महिला अधिकारों का वंचन

ii- महिला को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून का लागू न होना तथा समानता और विकास का उद्देश्य हासिल करना

iii- महिलाओं की कठिनाइयों को कम कर राहत कल्याण करने वाले निर्देशों, नीति निर्णयों के अनुपालन न होना और ऐसे मामलों से उपजे मुद्दे को उचित अधिकारियों के साथ उठाना

छ) महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तथा भेदभाव से उपजी विशेष समस्याओं का विशेष अध्ययन या जाँच करना और उनसे छुटकारा के लिए अनुशंसित रणनीतियों की सीमाओं की पहचान करना

ज) बढ़ावा देने वाले तथा शिक्षित करने वाले अनुसंधान का संचालन करना, ताकि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और उनके विकास के अड़चनों की पहचान करना जैसे- घर तथा बुनियादी सेवाओं की कमी, अरुचिकर कार्यों तथा स्वास्थ्य खतरे को कम करने तथा उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपर्याप्त सहायक सेवाएँ तथा तकनीकियाँ

झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना

रेल रश्मि

प्रक्रिया में भाग लेना तथा अपनी सलाह देना

ञ) संघ तथा किसी राज्य के तहत महिला विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना

ट) जेल, सुधार गृह, महिला संस्थान या अन्य कैद स्थान जहाँ महिलाओं को कैदी के रूप में रखा जाता है, की जाँच करना तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारी के समक्ष सुधार हेतु परामर्श करना

ठ) फंड मुकदमा जिसमें ऐसे मामले शामिल हों, जो महिलाओं के बड़े निकाय को प्रभावित करते हों

ड) महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले तथा कठिनाइयों पर सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना

ढ) अन्य कोई मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा इसे हस्तांतरित किया गया हो

2) केंद्र सरकार उपधारा(1) के उपबंध से संबंधित सभी रिपोर्टों को संघ द्वारा दी गई अनुशंसाओं से संबंधित उठाए गए कदम या उठाए जाने वाले कदम के ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदन में रखेगी और यदि कोई अनुशंसा मान्य न हो तो उसके बारे में भी सूचित करेगी।

3) जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई हिस्सा राज्य सरकार से जुड़ा होता है, आयोग उस रिपोर्ट या हिस्से को उस राज्य सरकार को भेजेगी, जो उसे राज्य विधान सभा में उठाए गए कदम या उठाए जाने वाले कदम के ज्ञापन के साथ दोनों सदन में रखेगी, और यदि कोई अनुशंसा मान्य न हो तो उसके बारे में भी सूचित करेगी।

4) किसी मामले की जाँच करने के दौरान आयोग के पास विशेषकर निम्न के संदर्भ में एक दीवानी अदालत के सभी अधिकार होंगे-

i) भारत के किसी भाग से किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेजना तथा उपस्थित होने का आदेश देना और शपथ के दौरान उसकी जाँच करना

ii) किसी दस्तावेज की खोज तथा प्रस्तुति की आवश्यकता जताना

iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्यों को प्राप्त करना

iv) किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या कॉपी को किसी अदालत या कार्यालय से प्राप्त करना

v) गवाहों और दस्तावेजों की जाँच के लिए आयोग का गठन करना तथा

vi) या कोई अन्य मामला जिसका सुझाव दिया गया हो।

राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना है। आयोग ने अपने

अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है, साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली-गलौज को भी गंभीरता से लिया है।

आयोग के कई प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तथापि, बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका को याद किया जाएगा। इससे संबंधित विधेयक बनाने में आयोग ने गंभीरता दिखाई और इसका असर यह हुआ कि कैबिनेट ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। आप्रवासी भारतीय पतियों के जुल्मों और धोखे की शिकार या परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए आयोग की भूमिका सराहनीय रही है। यह प्रकोष्ठ आप्रवासी मामलों के मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों की मदद से जरूरी सहायता मुहैया करा रहा है। ऑनर किलिंग रोकने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक लाने की तैयारी हो रही है। इस आयोग को सशक्त बनाने में केंद्र सरकार की पहल सराहनीय है। कल तक जो पीड़ित महिलाएँ घुट-घुटकर जीने को विवश थी, निश्चय ही राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से उन महिलाओं में आशा के दीप जले हैं। आज वह निःसंकोच न्याय पाने के लिए आयोग का दरवाजा खटखटा रही हैं। देशभर से यहाँ शिकायतें दर्ज होती हैं। शिकायत किसी भी प्रकार से दर्ज करवाई जा सकती है। चाहे खुद आकर शिकायत दर्ज करायें या फिर डाक, फैंक्स, ई-मेल

और टेलीफोन के जरिये। आयोग में लीगल सेल है, जो कई मामलों में जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह देता है। इसके अलावा रिसर्च सेल महिलाओं के अधिकारों और महिला मुद्दों से संबंधित मामलों के लिए शोध करवाता है।

इन सब के बावजूद, भारत में अदालती कानून की अपेक्षा प्रथागत कानूनों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सिर्फ कानूनी प्रावधान ही महिला की स्थिति सुधारने के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, बल्कि लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की भी जरूरत है। आवश्यकता है भारतीय समाज में महिलाओं को उनका उपयुक्त स्थान दिलाने की। वास्तव में शक्ति और अधिकार उनकी तभी सहायता करेंगे जब महिलाएँ स्वयं अपनी मानसिकता को ऊपर उठाकर दृढ़ प्रयास करेंगी। महात्मा गाँधी की ये पंक्तियाँ उनके लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेंगी- 'स्त्री तो एक मूर्तमान बलिदान है। यह जब सच्ची भावना से किसी काम का बीड़ा उठाती है तो पहाड़ों को भी हिला देती है।'

सन 1931 के एक आलेख में महादेवी वर्मा ने लिखा- 'हमें न किसी पर जय चाहिए न किसी का प्रभुत्व। केवल अपना वह स्थान चाहिए, वह स्वत्व चाहिए जिसका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं, परंतु जिसके बिना हम समाज का उपयोगी अंग नहीं बन सकेंगी।' ❖❖

कनिष्ठ अनुवादक

केंद्रीय हिंदी अनुभाग

मुकाधि कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

लेखकों/रचनाकारों से निवेदन

'रेल रश्मि' में प्रकाशनार्थ रेल से संबंधित तकनीकी, गैर-तकनीकी, लेख, कहानी, कविता, गज़ल, संस्मरण, यात्रा-वृत्तांत, योग, अध्यात्म आदि अनेकानेक विधाओं/विषयों पर स्तरीय रचनाएँ आमंत्रित की जाती हैं। रचनाओं पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। कृपया नोट करें कि रचनाएँ टाइप की हुई अथवा कंप्यूटर के माध्यम से स्वच्छ टंकित की हुई ही हो। हस्तलिखित रचनाएँ स्वीकार्य नहीं होंगी। रचना हार्ड कापी के साथ सी.डी./पेन ड्राइव के द्वारा ही दी जा सकती है। रचना कागज के एक ही ओर दोनों तरफ पर्याप्त हाशिया छोड़ कर लिखें और दो पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान अवश्य छोड़ें। रचना स्पष्ट और सुपाठ्य हो। रचना को भेजने से पूर्व एक बार पढ़कर पाठ अवश्य शुद्ध कर लें और मूल प्रति ही भेजें। रचनाओं के साथ इस आशय का प्रमाण/घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक/रचनाकार की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है। रचना के साथ पिन कोड संख्या व संपर्क नंबर अवश्य उद्धृत करें।

कई रचनाएँ एक साथ न भेजें। साथ ही रचना दो से तीन फुल स्क्रेप के आकार के पृष्ठों से अधिक न हो। यदि किसी कारणवश किसी रचना को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। रचनाएँ निम्न पते पर भी भेज सकते हैं-

संपादक, रेल रश्मि

केंद्रीय हिंदी अनुभाग

मुकाधि कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे

गोरखपुर-273012

ईमेल: seniorol9@gmail.com

◆ लेख ◆
कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा तंत्र-एक परिचय
स्वाति दूबे

महिला सुरक्षा के मायने बहुत अहम हैं फिर चाहे वह घर पर हो, घर से बाहर या फिर दफ्तर में हो। महिलाओं की सुरक्षा अपने-आप में ही बहुत विस्तृत विषय है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों को देखकर हम यह तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिला पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के करवाये गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि औसतन 100 में से 80 महिलाएँ अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

यह जरूरी नहीं कि महिला उत्पीड़न सिर्फ देर शाम या रात्रि में ही हो, बल्कि घर पर किसी परिजन के द्वारा या दफ्तर में साथ काम करने वाले सहयोगी द्वारा भी ऐसे चकित करने वाले मामले उजागर हुए हैं। एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा किये गए सर्वे में यह पाया गया कि इन बढ़ते अपराधों के पीछे मुख्य कारण था काम करने वाली जगह में आपसी सहयोग की कमी, न के बराबर पुलिस सेवा, खुलेआम शराब का सेवन, नशे की लत एवं शौचालयों की कमी।

अंततः यह स्वीकार किया जाने लगा है कि महिलायें भी कामकाजी प्राणी हैं और वे काम की जगह पर भी हिंसा की शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त, 1997 में कार्यस्थलों पर यौन-उत्पीड़न रोकने के संबंध में एक निर्णय दिया था। राजस्थान के चर्चित भँवरी देवी केस (1992) की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में फैसला दिया था। विशाखा निर्णय नाम से प्रसिद्ध इस केस में यौन-उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए कई दिशा-निर्देशों और मानकों का निर्धारण किया गया था। विचारणीय यह है कि क्या हमारा समाज महिलाओं के लिए एक असुरक्षित और अपमानजनक जीवन जीने का स्थान है? हम इंतजार करेंगे कि कोई विशाखा, भँवरी देवी या निर्भया आए और उनके अस्तित्व दाव पर लगने के बाद सरकार और समाज जागेगा? अब हमारे पास महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) कानून 2013 मौजूद है। दिसंबर 2013 को इसके नियम भी जारी कर दिए गए हैं।

ये अधिनियम विशाखा केस में दिये गये लगभग सभी दिशा-निर्देशों को धारण करता है और ये बहुत से

अन्य प्रावधानों को भी निहित करता है जैसे- शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियाँ प्रदान की हैं। यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये से अधिक अर्थदंड भरना पड़ेगा, ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर-संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ या आयाओं आदि को भी शामिल करता है।

इसप्रकार ये अधिनियम कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन-उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के लिये युक्ति है। ये विशाखा फैसले में दिये गये दिशा-निर्देशों को सुव्यवस्थित करता है और इसके प्रावधानों का पालन करने के लिये नियोक्ताओं पर एक सांविधिक दायित्व अनिवार्य कर देता है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न से सुरक्षा के लिये कानूनी अनिवार्यता के अंतर्गत लिया गया है।

यह कानून करता क्या है?

1. यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न को अवैध करार देता है।
2. यह कानून यौन-उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिह्नित करता है और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है।
3. यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न हुआ हो।
4. इस कानून में यह जरूरी नहीं है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है, वह वहाँ नौकरी करती हो।
5. कार्यस्थल कोई भी कार्यालय/दफ्तर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी।

शिकायत कौन कर सकता है?

जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न हुआ है, वह शिकायत कर सकती है।

शिकायत करनी किसको है?

अगर आपके संगठन/ संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति है तो उसमें ही शिकायत करनी चाहिए। ऐसे सभी

संगठन या संस्थान जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य हैं।
शिकायत कब तक की जानी चाहिए?

शिकायत करते समय घटना को घटे तीन महीने से ज्यादा समय नहीं बीता हो और यदि एक से अधिक घटनाएँ हुई हैं तो आखिरी घटना की तारीख से तीन महीने तक का समय पीड़ित के पास है।

क्या यह सीमा बढ़ाई जा सकती है?

हाँ, यदि आंतरिक शिकायत समिति को यह लगता है कि इससे पहले पीड़िता शिकायत करने में असमर्थ थी तो यह सीमा बढ़ाई जा सकती है, पर इसकी अवधि और तीन महीनों से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती।

शिकायत कैसे की जानी है?

शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश पीड़िता लिखित रूप में शिकायत नहीं कर पाती है तो समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे लिखित शिकायत देने में पीड़िता की मदद करें।

उदाहरण के तौर पर, अगर वह महिला पढ़ी लिखी नहीं है और उसके पास लिखित में शिकायत लिखवाने का कोई जरिया नहीं है तो वह समिति को इसकी जानकारी दे सकती है और समिति की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पीड़िता की शिकायत बारीकी से दर्ज की जाए।

क्या पीड़िता की ओर से कोई और शिकायत दर्ज कर सकता है?

यदि पीड़िता शारीरिक रूप से शिकायत करने में असमर्थ है तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके सह-कार्यकर्ता, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता है और जिसने पीड़िता की सहमति ली है, अथवा राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग के अधिकारी शिकायत कर सकते हैं।

यदि पीड़िता शिकायत दर्ज करने की मानसिक स्थिति में नहीं है तो उसके रिश्तेदार या मित्र, उसके विशेष शिक्षक, उसके मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक, उसके संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, शिकायत कर सकते हैं। साथ ही कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता है, उपरोक्त व्यक्तियों के साथ मिल कर संयुक्त शिकायत कर सकता है। यदि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता हो, पीड़िता के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत कर सकता है।

रेल रश्मि

शिकायत दर्ज करने के बाद होता क्या है?

यदि वह महिला चाहती है तो मामले को 'कंसिलिएशन'/'समाधान' की प्रक्रिया से भी सुलझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते हैं परंतु ऐसे किसी भी समझौते में पैसे के भुगतान द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता है।

यदि महिला समाधान नहीं चाहती है तो जाँच की प्रक्रिया शुरू होगी जिसे आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिन में पूरा करना होगा। यह जाँच संस्था/कंपनी द्वारा तय की गई प्रक्रिया पर की जा सकती है। यदि संस्था/कंपनी की कोई तय प्रक्रिया नहीं है तो सामान्य कानून लागू होगा। समिति पीड़िता, आरोपी और गवाहों से पूछताछ कर सकती है और मुद्दे से जुड़े दस्तावेज भी मांग सकती है। समिति के सामने वकीलों को पेश होने की अनुमति नहीं है। जाँच के खत्म होने पर यदि समिति आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है तो समिति नियोक्ता (अथवा कंपनी या संस्था, आरोपी जिसका कर्मचारी है) को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सुझाव देगी। नियोक्ता अपने नियमों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं, नियमों के अभाव में नीचे दिए गए कदम उठाए जा सकते हैं-

- ✎ लिखित माफी
- ✎ चेतावनी
- ✎ पदोन्नति/प्रमोशन या वेतन वृद्धि रोकना
- ✎ परामर्श या सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करना
- ✎ नौकरी से निकाल देना

नियोक्ता कौन है?

इस कानून के मुताबिक संस्था या कंपनी के निम्न श्रेणी के प्रबंधक या अधिकारी को नियोक्ता माना जाता है-

- 88 सरकारी कार्यालय/ दफ्तर में विभाग का प्रमुख नियोक्ता होता है।
- 88 निजी दफ्तर में नियोक्ता कोई ऐसा है व्यक्ति जिस पर कार्यालय के प्रबंधन और देखरेख की जिम्मेदारी है, इसमें नीतियाँ बनाने वाले बोर्ड और समिति भी शामिल हैं।
- 88 किसी अन्य कार्यालय में एक व्यक्ति जो अपने अनुबंध/कांट्रैक्ट के अनुसार एक नियोक्ता है को इस कानून में भी नियोक्ता माना जा सकता है।
- 88 घर में जिस व्यक्ति या घर ने किसी घरेलू कामगार को काम पर रखा है वह नियोक्ता है (काम की प्रकृति या कामगारों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता)।

नियोक्ता और उनके कर्तव्य

नियोक्ता को अपने कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए अपनी संस्था/कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। ऐसी समिति की अध्यक्षता संस्था या कंपनी की किसी वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा इस समिति से संबंधित जानकारी कार्यस्थल पर किसी ऐसी जगह लगायी/चस्पा की जानी चाहिए जहाँ कर्मचारी उसे आसानी से देख सके।

नियोक्ताओं को मुख्य रूप से सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित है। महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आने-जाने वालों (जो कर्मचारी नहीं हैं) की उपस्थिति में असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नियोक्ता को अपनी 'यौन उत्पीड़न संबंधी नीति' और जिस आदेश के तहत आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना हुई है, ऐसे आदेश की प्रति, ऐसे स्थान पर लगा/चस्पा कर देनी चाहिए जिससे सभी कर्मचारियों को इसके बारे में पता चल सके।

नियोक्ता को यौन उत्पीड़न के मुद्दों के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। उन्हें अपने सेवा नियमों में यौन उत्पीड़न को भी शामिल करना चाहिए और कार्यस्थल में इससे निपटने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए।

कामकाजी महिलाएँ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें कानून और नियमों को ठीक से जानें

आपके लिये यह जानना बेहद जरूरी है कि इस संबंध में नीतियाँ (पालिसी) क्या कहती हैं। ताकि आप उसके अनुसार तैयारी कर पाएँ। साथ ही अपने कानूनी अधिकारों को जानें। इससे संबंधित कानूनों को पढ़ें या किसी कानूनी जानकार से विकल्पों के बारे में जानकारी लें।

सबसे पहला कदम ये उठाएँ।

उत्पीड़न के मामले में जो सबसे पहला कदम उठाना चाहिये वो ये है कि आप सीधा जाकर उस व्यक्ति से बात करें जो आपको परेशान कर रहा है और उसे इस बात का अंदेशा दें कि आप बर्दाश्त करने वाले या चुप रहने वालों में से नहीं हैं। उसे इस संबंध में एक लिखित चेतावनी भी दें। यदि उससे बात कर कोई फायदा न हो तो अपने सीनियर से इसकी शिकायत करें। इस मामले को लिखित बनाएँ।

पीड़ितों और गवाहों को जुटाएँ

इस बात की पूरा संभावना है कि आपको परेशान कर रहे व्यक्ति ने पहले भी लोगों के साथ उत्पीड़न किया हो या वो हाल में भी और लोगों के साथ ऐसा करता या करती हो। उन लोगों से बात करें और उन्हें एक साथ जुटाने की कोशिश करें। अपने लिये किसी प्रत्यक्ष गवाह को तैयार करने की कोशिश करें। जितने हो सके सबूत जुटाएँ। बाकी पीड़ितों से भी लिखित सूचना या चेतावनी देने का आग्रह करें ताकि आप सभी का केस मजबूत बन पाए।

उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ मुकदमा करें

अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए वकील से सलाह लें। स्पष्ट रहें और सुनिश्चित कर लें कि आप बदले में क्या चाहते हैं जैसे- मुआवजा या अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया हो तो अपनी नौकरी में वापसी।

निंदकों की बातों पर ध्यान न दें और अच्छे लोगों में रहें।

याद रखें, इस तरह के कदम को उठाने पर आपको निंदकों का भी सामना करना पड़ेगा। तो खुद को मजबूत बनाएँ, निंदकों की बातों को दिल से न लगाएँ, आप सही काम कर रही हैं। ❖❖

कनिष्ठ अनुवादक
केंद्रीय हिंदी अनुभाग
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

कभी अनजाने में
कभी जान में
तो कभी शान में
कुचले गए हैं अरमान झूठी पहचान में।
कभी प्यार से
कभी मार से
तो कभी दुलार से
छली गयी हूँ मैं स्त्री इस संसार में।

पूर्वोत्तर रेल पर महिला कार्मिकों और उनके बच्चों के लिए कल्याण योजनाएँ- एक परिचय सपना खरे

आज महिलाएँ पूरे आत्मविश्वास

से अपने परिवार, समाज तथा देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। वे बेटी, पत्नी, माँ, बहन के रूप में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा तथा विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। वे अपनी प्रोफेशनल दिनचर्या के साथ-साथ पारिवारिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं।

इसी के साथ हमारी सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, महिला शिक्षा, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना सरीखी योजनाएँ लागू किया है तथा और भी नई योजनाओं पर विचार कर रही है और जारी कर रही है।

हमारी पूर्वोत्तर रेल पर भी अधिक संख्या में महिलाएँ विभिन्न तकनीकी/गैर तकनीकी पदों पर कार्य कर रही हैं। इनके लिए और इनके बच्चों के हितार्थ हमारी रेल में अनेक कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं और इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी हो रही है। इससे इस रेल की महिलाएँ घर और कार्यालय में निर्विरोध अपना कार्य संपन्न कर रही हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में यहाँ चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है-

मातृत्व अवकाश

यह अवकाश कामकाजी महिलाओं के लिए काफी लाभकारी है। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है जिसे अवकाश के शुरू होने की तारीख से 90 दिनों के लिए विस्तार किया जा सकता है या प्रसव की तारीख से 42 दिनों के लिए, जो भी पहले हो, दिया जा सकता है। मातृत्व अवकाश की निरंतरता में नियमित छुट्टी कुछ शर्तों पर भी दी जा सकती है। मातृत्व अवकाश पर जाने वाली कर्मचारी इस अवकाश पर जाने से एक दिन पहले मिल रहे वेतन जितना वेतन प्राप्त कर सकेंगी।

पितृत्व अवकाश

यह अवकाश पुरुष रेल कार्मिकों को प्रदान किया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद उसकी परवरिश में पिता की बराबर की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है।

शिशु गोद लेने पर मातृत्व अवकाश

शिशु गोद लेने के लिए भी महिला रेल कर्मियों को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। इसमें यदि शिशु एक माह से कम का है तो एक वर्ष और यदि छः माह से लेकर नौ माह तक का है तो छः माह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है।

शिशु गोद लेने पर पितृत्व अवकाश

शिशु गोद लेने के लिए भी पुरुष रेल कर्मियों को पितृत्व अवकाश 15 दिनों का प्रदान किया जाता है।

शिशु देखभाल अवकाश

यह अवकाश महिला रेल कर्मियों को उनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए (कुछ शर्तों के साथ) दिया जाता है।

इसके अलावा रेल कार्मिकों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में लगने वाली फीस की भी प्रतिपूर्ति की जाती है। जिन कार्मिकों के बच्चे उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनके खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। साथ ही उनके शहर से बाहर स्कूल/कॉलेज में आने-जाने के लिए मुफ्त शिक्षा रेल पास की सुविधा दी जाती है।

जहाँ महिला रेल कार्मिक कार्य कर रही हैं उनको सुरक्षात्मक माहौल देने के उद्देश्य से यौन-उत्पीड़न विरोधी कानून भी बनाए गए हैं ताकि महिलाएँ बिना किसी चिंता के कार्य कर पाएँ।

इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर (मुख्यालय) स्थित प्रत्येक विभाग/कारखाने में 'महिला कॉमन रूम' (महिलाओं के लिए उनकी तबियत खराब हो या लंच के समय में आराम करने के लिए कक्ष) की भी व्यवस्था की गई है।

ऊपर सभी नियमों का उल्लेख हो गया जिनके अधीन महिला रेल कार्मिकों और उनके बच्चों को सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो हमारी रेल पर कल्याणकारी कदम उठाए जाते हैं। इनमें हमारा पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन अहम भूमिका निभाता है। इस संस्था द्वारा-

स्कूल

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर (मुख्यालय) में दो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल (नरवो डिजनी वर्ल्ड स्कूल और नरवो स्वर्ण जयंती स्कूल) चलाती हैं। इसमें बहुत ही कम फीस में गरीब घरों के बच्चे अच्छी अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करते हैं।

क्रेच

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर (मुख्यालय) में 'वात्सल्य शिशु सदन' नाम से एक क्रेच चलता है। यह क्रेच रेल परिसर में ही स्थित है जिसमें महिला रेल कर्मचारी अपने बच्चों को रख सकती हैं। इन बच्चों का ध्यान यहाँ पर तैनात स्टाफ भली प्रकार से करता है और लंच में महिलाएँ जाकर अपने बच्चों को देख सकती हैं। इस क्रेच में पर्याप्त मात्रा में बेड, छोटे बच्चों के लिए पालने- जिसमें बच्चे आराम कर सकते हैं, ए.सी., माइक्रोवेव ओवन सहित किचन बेस- जहाँ इन बच्चों का खाना गरम हो सकता है, छोटे बच्चों की दूध की बोतलें तैयार की जा सकती हैं, जाड़ों के दिनों में गीजर, हीटर की व्यवस्था है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए छोटा बगीचा है, जिसमें झूले आदि लगे हुए हैं। इसमें रेल कार्मिक और गैर-रेल कार्मिक दोनों के ही बच्चों की देखभाल की जाती है।

इस संगठन द्वारा गायन, वादन, नृत्य आदि की प्रतिभाखोज प्रतियोगिताएँ रेल कार्मिकों के बच्चों के लिए आयोजित की जाती हैं जिसमें विजयी प्रतिभागियों को अच्छी धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है।

इसी प्रकार और भी कल्याणकारी कार्य हैं जैसे- मातृत्व दिवस पर इस संगठन द्वारा रेल कार्मिकों की विशेष रूप से सक्षम बेटियों को इनके नाम 05 वर्ष की भारतीय स्टेट बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना प्रदान करना, कैंसर रोग से पीड़ित रेल कार्मिक के बच्चों के अच्छे इलाज के

लिए भी अच्छी पुरस्कार राशि प्रदान करना, ग्रुप-डी कार्मिकों के होनहार बच्चे जिन्होंने उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें एकमुश्त पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित करना शामिल हैं।

रेल कर्मियों की पत्नियों, उनके बच्चों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से यदा-कदा भू-अलंकरण, रंगोली बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण आदि भी दिया जाता है। अशिक्षितों के लिए प्रौढ़ साक्षरता केंद्र चलाया जा रहा है और रेल कार्मिकों के परिवार के लिए न्यूनतम दरों पर ब्यूटी पार्लर की सुविधा भी आरंभ की गई है।

रेलवे स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'दस्तक योजना' के अंतर्गत सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन स्टेशन पर तैनात महिला रेल कर्मियों के लाभार्थ लगाई गई है। इस वर्ष रेलवे चिकित्सालय को एक ऑडियो-विज्युअल सिस्टम और एक पोर्टेबल ऑक्सीजन कांसेन्ट्रेटर इनडोर रोगियों के लिए दान में दिया गया है। हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को रेलवे चिकित्सालय में बीमार बच्चों को उपयुक्त उपहार प्रदान किए जाते हैं और सदस्याएँ स्वयं जाकर उनका कुशल-मंगल पूछती हैं।

इनके अलावे जो महिलाएँ खेल-कूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करती हैं उन्हें भी विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित करके उनकी सराहना की जाती है।

एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारी पूर्वोत्तर रेल महिलाओं, उनके बच्चों के कल्याण के लिए सतत् रूप से सदैव अग्रणी भूमिका निभा रही है। ❖❖

कनिष्ठ अनुवादक
केन्द्रीय हिंदी अनुभाग
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

**बेटी नहीं है किसी से कम,
बेटी से देश को मिलेगा दम।**

चुनौतियों का हँसकर स्वागत करने वाली महिलाएँ आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। कल तक भावनात्मक रूप से कमजोर महिलाएँ आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं तथा अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं कर रही हैं।

◆ लेख ◆
पूर्वोत्तर रेलवे में महिलाओं का योगदान
श्याम बाबू शर्मा

भारतीय रेलवे न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्किंग रेलवे है बल्कि महिलाओं को रोजगार देने, उनको सुरक्षा एवं सम्मान देने और उन्हें सामने लाकर चुनौतीपूर्ण अवसर प्रदान करने में भी आगे रही है। भारतीय रेल इस विशाल देश की जीवन रेखा है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है और उनका जीवनयापन हो रहा है।

पूर्वोत्तर रेलवे भारतीय रेलवे का वह जोन है, जिसकी नींव सन 1875 में पड़ी थी, जब दलसिंहसराय से दरभंगा तक की 45 मील की रेल लाइन अकालग्रस्त क्षेत्र में बिछाई गई थी। 14 अप्रैल, 1952 को अवध तिरहुत रेलवे, असम रेलवे और बी.बी.एंड सी.आई. रेलवे का कानपुर-अछनेरा खंड को मिलाकर पूर्वोत्तर रेलवे बनी। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद 15 जनवरी, 1958 को इसे दो जोन पूर्वोत्तर सीमांत एवं पूर्वोत्तर रेलवे में विभाजित किया गया। तत्पश्चात सन 2002 में पूर्वोत्तर रेलवे पुनः विभाजित हुआ और आज यह अपने वर्तमान स्वरूप में है, जिसका मुख्यालय गोरखपुर है और इसमें मंडल इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे के 1875 से अब तक के इतिहास में कुछ ही ऐसे चुनौतीपूर्ण पद रहे जिन पर सामाजिक कारणों से महिलाओं की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। जैसे-जैसे समाज का विकास हुआ पूर्वोत्तर रेलवे ने भी महिलाओं के लिए अनेक प्रतिबंधित पदों पर नियुक्ति देना प्रारंभ कर दिया। महिलाओं ने प्रतिस्पर्धा के बावजूद उन प्रतिबंधित पदों पर पदासीन होकर समाज को एक नई दिशा दी। पूर्वोत्तर रेलवे अन्य कई क्षेत्रीय रेलों की अपेक्षा छोटा होने के बावजूद प्रारंभ से ही हर क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, या सांस्कृतिक उपलब्धियों का या अपनी उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करने का, हर क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। इन सफलताओं में पूर्वोत्तर रेलवे की महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। आज हम पूर्वोत्तर रेलवे पर तैनात कुछ महिला कर्मियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जिनसे हमने व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात की और उनके कार्यों के बारे में जाना। यह लेख उनसे हुई चर्चा के आधार पर है-



**हॉकी में
अर्जुन पुरस्कार प्राप्त
प्रेम माया**

खेल जगत में प्रेम माया का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 14 सितंबर, 1958 को धर्मशाला, गोरखपुर में श्री बनराज सोनी एवं श्रीमती बुद्धि देवी के घर में जन्मी बालिका, जिसने हॉकी में विश्व-स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया और प्रतिष्ठित खेल सम्मान 'अर्जुन अवार्ड' प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया। प्रेम माया की शिक्षा-दीक्षा गोरखपुर में ही हुई। आपने दिनांक 21.07.1982 को रेल सेवा ज्वाइन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम आपने 1979 में कनाडा में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 में मास्को ओलंपिक में चौथा स्थान, 1981 में एशियन चैंपियनशिप, जापान में स्वर्ण पदक, 1982 में 9वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, 1983 में कुआलालंपुर में आयोजित विश्वकप में भाग लिया। 1984 फोर नेशन, सिंगापुर में स्वर्ण पदक, 1985 में अर्जेंटीना में आयोजित इंटर-कांटीनेंटल कप में भाग लिया। 1985 में ही नई दिल्ली में आयोजित इंदिरा गोल्ड कप में स्वर्ण पदक और 1986 में सियोल में आयोजित 10वें एशियन गेम्स में कांस्य पदक प्राप्त किया। श्रीमती प्रेम माया की इन उपलब्धियों के लिए सन 1983 में रेलमंत्री पुरस्कार और सन 1985 में खेल का प्रतिष्ठित पुरस्कार 'अर्जुन अवार्ड' प्राप्त हुआ।

श्रीमती प्रेम माया वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे पर क्रीड़ा अधिकारी के पद पर आसीन हैं। आपकी देखरेख में पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में सफलताओं के झंडे गाड़े हैं। हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स-2018, गोल्ड कोस्ट में पूनम यादव ने महिला भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स-2017, जोहान्सबर्ग में गार्गी यादव ने महिला भारोत्तोलन और अमरनाथ ने पुरुष भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके अलावा सेफ गेम्स एवं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की है।



नाट्यकला में पारंगत रचना श्रीवास्तव

भंडार नियंत्रक कार्यालय, गोरखपुर में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत रचना श्रीवास्तव का जन्म 18.12.1974 को बाराबंकी के छाबड़ा दंपति के घर हुआ। पिता का नाम श्री सतीश चंद्र छाबड़ा और माता का नाम सतीश छाबड़ा है। रचना की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा बाराबंकी हुई तथा उच्चशिक्षा गोरखपुर में हुई। आपने समाजशास्त्र से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आपको बचपन से ही अभिनय का शौक था तथा यही शौक आपका प्रोफेशन बन गया। अंतर्विद्यालय एवं अंतर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में आपने अनेक पुरस्कार अर्जित किए। रेलवे में आपकी नियुक्ति सांस्कृतिक कोटे के आधार पर हुई। पूर्वोत्तर रेलवे कला समिति की आप सक्रिय सदस्य हैं। आपने अखिल रेल नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सह-अभिनेत्री के कई पुरस्कार जीते हैं।

आपकी अभिरूचि भारत स्काउट एवं गाइड में भी रही। आपको राज्यपाल स्तर का स्काउट एवं गाइड पुरस्कार प्राप्त है।

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय स्तर एवं अखिल रेल स्तर पर आपने हिंदी वाक् प्रतियोगिता में कई बार सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट स्थान पर रहीं।

आप महिला सशक्तिकरण के प्रति सदैव जागरूक रहती हैं। वर्तमान में आप पूर्वोत्तर रेलवे महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा आप राष्ट्रीय पर्वों के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में उद्घोषिका के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करती हैं।

रेल रश्मि



रेलवे सुरक्षा बल की कांस्टेबल शशि कला भारती

शशि कला भारती लखनऊ मंडल के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल, गुड्स एंड पार्सल पोस्ट पर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। 05 मई 1984 को गाजीपुर के श्री रामलखन राम एवं श्रीमती प्रभावती देवी के घर जन्मी शशि कला भारती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्री महाबजरंगबली विद्यालय, नायकडीह, गाजीपुर से प्राप्त की तथा संपूर्णानंद डिग्री कालेज सादातपुर, इलाहाबाद से उन्होंने स्नातक किया। 16 फरवरी 2005 को वह रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर तैनात हुईं।

रेलवे सुरक्षा बल में कार्य करते हुए आप ट्रेन स्कॉर्ट टीम में कार्य करते हुए चलती ट्रेन में अपराध को रोकने और विशेष रूप से अकेले यात्रा कर रही महिला एवं बाल सुरक्षा में सक्रिय रहती हैं। यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा के प्रति आगाह करती हैं और हेल्प लाइन 182 के बारे में बताती हैं। गाड़ी चैक करते समय आपकी दृष्टि तीक्ष्ण रहती है। यदि कोई अकेली लड़की या बच्चे पर जरा-सा भी शक होता है कि यह घर से भागा हुआ है या कोई उसे जबरदस्ती ले जा रहा है तो उससे गहन पूछताछ करती हैं तथा यथावश्यक उसकी मदद करती हैं। अब तक आपने घर से भागी कई लड़कियों को उनके अभिभावकों को सौंपने में मदद की तथा लावारिस बच्चों को चाइल्ड केयर संस्था को सौंपने में मदद की।

प्लेटफार्म ड्यूटी के दौरान आप अधिक सतर्कता बरतते हुए प्लेटफार्म पर यदि अकेली कोई बच्ची या बच्चा मिलता है तो उससे जरूर पूछताछ करती हैं तथा यथावश्यक मदद करती हैं। यात्रियों के साथ आपका व्यवहार काफी अच्छा रहता है।

तेज-तरार टिकट संग्राहक किरन प्रसाद



गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्रधान टिकट संग्राहक के पद पर तैनात किरन प्रसाद की रेल सेवा में नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई है।

02 अगस्त 1973 को सीतामढ़ी (बिहार) में श्री पन्ना लाल प्रसाद एवं श्रीमती तारा देवी के घर जन्मी किरन प्रसाद की शिक्षा-दीक्षा सीतामढ़ी में ही हुई। आपने स्नातक महंत रघुनाथ दास उच्च महाविद्यालय, सीतामढ़ी से किया। आपका विवाह पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में सेक्शन आफिसर/लेखा के पद पर तैनात श्री राजेंद्र प्रसाद से हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात 01 अप्रैल, 2006 को आपकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर वरिष्ठ टिकट संग्राहक के पद पर हुई।

गोरखपुर स्टेशन पर आपकी पहचान तेज-तर्रार, निडर एवं कर्तव्यनिष्ठ टिकट संग्राहक के रूप में हैं। आपकी नजर से कोई भी बिना टिकटधारी बच नहीं सकता। बिना टिकटधारियों का पेनाल्टी सहित टिकट बनाती हैं। प्लेटफार्म ड्यूटी पर कार्य करते समय आपकी नजर उन बच्चों एवं बच्चियों पर भी रहती है जो लावारिस घूम रहे हैं या अपने माता-पिता से बिछड़ गए या घर से भागे हुए लगते हैं तो उनको रेल सुरक्षा बल की सहायता से अभिभावकों को या चाइल्ड केयर संस्था को सौंपने में मदद भी कर रही हैं। इसके अलावा आप रेलवे द्वारा महिला को रेलवे स्टेशन पर दी जा रही बेबी फीडिंग रूम एवं सेनेट्री नैपकिन वेंडिंग मशीन विद डिस्ट्रॉय के बारे में भी बताती हैं।

उल्लेखनीय है कि महाप्रबंधक महोदय द्वारा हाल ही में गोरखपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 2 पर महिला के लिए बेबी फीडिंग रूम एवं सेनेट्री नैपकिन वेंडिंग मशीन विद डिस्ट्रॉय की सुविधा का उद्घाटन किया गया है।

ट्रेन लोको पायलट शुभ्रा सिंह एवं श्रीनी श्रीवास्तव

भारत की पहली महिला ट्रेन लोको पायलट बनने का गौरव प्राप्त सुरेखा यादव मध्य रेलवे में तैनात है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला लोको पायलट समता कुमारी लखनऊ मंडल में कार्यरत हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर से चयनित समता कुमारी की नियुक्ति 16 जनवरी, 2010 को ट्रेनीज लोको पायलट के रूप में हुई तथा उन्होंने 14 जुलाई, 2010 से लखनऊ जंक्शन से सवारी गाड़ी में कार्य करना आरंभ किया।

गोरखपुर लोको लॉबी में उपलब्ध शुभ्रा सिंह एवं श्रीनी श्रीवास्तव भी रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर से चयनित होकर 10 अप्रैल, 2017 से मालगाड़ी में सहायक लोको पायलट के रूप में कार्यरत हैं।



01 अक्टूबर, 1983 को देवरिया (उ.प्र.) में जन्मी शुभ्रा सिंह के पिता का नाम श्री स्वामी दयाल सिंह और माता का नाम श्रीमती रामवती देवी है। पिता सोनभद्र में हिंडालको में तैनात

होने के कारण शुभ्रा सिंह ने हिंडालको हायर सेकेंड्री स्कूल, सोनभद्र से इंटरमीडिएट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया।

25 अक्टूबर, 1995 को श्री पंकज श्रीवास्तव एवं श्रीमती माया श्रीवास्तव के घर गाजीपुर में जन्मी श्रीनी श्रीवास्तव ने लार्ड्स कांवेन्ट गर्ल्स इंटर कालेज, गाजीपुर (उ.प्र.) से हाईस्कूल करने बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा प्राप्त किया है।

शुभ्रा सिंह एवं श्रीनी श्रीवास्तव दोनों बचपन से ही चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहती थीं इसलिए दोनों ने लोको पायलट बनने की सोची और उसी के हिसाब से डिप्लोमा लेकर तैयारी शुरू की।

शुभ्रा सिंह विवाहित हैं और वे रेल प्रशासन की शुक्रगुजार हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे ने महिला कर्मियों को कार्य करने की काफी सुविधाएँ प्रदान की हैं। महिला लोको पायलट की ड्यूटी प्रायः दिन में ही लगाई जा रही है और उन्हें विश्राम का भी पर्याप्त समय मुहैया कराया जा रहा है। विवाहित होने के बावजूद घर और ड्यूटी दोनों में अच्छा तालमेल बैठाना संभव हो सका है। उन्हें तब ज्यादा खुशी मिलती है जब आम लोग उन्हें ट्रेन चलाते देखकर भौचक्के होते हैं। शुभ्रा सिंह रेल सेवा में आने से पूर्व दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में काम कर चुकी हैं। दोनों जगह काम करने के अनुभव के बारे में वह बताती हैं कि दिल्ली की प्राइवेट कंपनी की तुलना में पूर्वोत्तर रेलवे में काम करने के दौरान वह ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं।



श्रीनी श्रीवास्तव अपने कार्य को निष्ठापूर्वक निष्पादित कर रही हैं। उनका मानना है कि लोको पायलट को पर्याप्त विश्राम मिलना चाहिए तभी वह सही से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण साथी लोको पायलट से तालमेल बैठाना

होता है जिससे सिग्नल ओवरशूट न हो पाए। मालगाड़ी में चलना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कार्य के घंटे बढ़ भी सकते हैं। फिर भी वह अपने कार्य से संतुष्ट है। अपने को सुरक्षित महसूस करने के प्रश्न पर श्रीनी का कहना है कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाता है इसलिए उनमें असुरक्षा की बिल्कुल भी भावना नहीं है। वह पूर्वोत्तर रेल प्रशासन की शुक्रगुजार हैं कि उन्हें दिन की ड्यूटी कराई जा रही है।

इनके अलावा और भी कई महिलाएँ इस पूर्वोत्तर रेलवे पर कार्यरत हैं जिन्होंने अपने कार्य-कलाप से इस रेलवे का नाम रोशन किया है। ❖❖

वरिष्ठ अनुवादक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
संपर्क: 9794840674



महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानून

डा.चेतना पांडेय

यह वही देश है

जहाँ महिलाओं की पूजा करने की परंपरा रही है। जहाँ छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप माना जाता है किंतु अब ये बातें केवल किताबों या भाषणों का हिस्सा मात्र हैं। मीडिया में रोज आ रहे समाचार और इससे इतर भी हो रहे तमाम सर्वेक्षण बताते हैं कि देवी क्या अब तो नारियों को इंसान माने जाने में भी दुविधा है। अगर ऐसा न होता तो पालने से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक कोई तो जगह होती जहाँ महिला आजादी और सुरक्षा का अनुभव करतीं। प्ले-वे हो, दफ्तर हो, अस्पताल हो या तीर्थस्थल शोषण और वासना का गंगा नाच जब हर जगह अपने चरम पर हो तो यह स्पष्ट है कि अब दुनिया सदाचार के भाषणों से नहीं कानून के भय से ही सुधर सकती है। लिहाजा यह जरूरी है कि महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े हुए जितने भी कानून हैं उन्हें न केवल जाना जाए वरन उनका सहारा लेकर अपराधियों का मनोबल भी तोड़ा जाए।

आँकड़े कहते हैं कि 53 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे (जिनमें बच्चियाँ ज्यादा हैं) यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं। दफ्तरों में भी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न की घटना कम नहीं हैं। स्कूल, कोचिंग या काम पर जाते हुए भद्दी टिप्पणियाँ भी तमाम महिलाओं की नियति जैसी बन गई है। इन सारी स्थितियों का संज्ञान रखते हुए विधिक व्यवस्था है। जरूरत है कि उन्हें जानें और उनका प्रयोग करें।

☞ घूरना, राह चलते छींटकशी करना, अश्लील सामग्री दिखाने का प्रयास करने को केवल आप ही नहीं कानून भी अपराध मानता है। ऐसे में पुलिस, प्राचार्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत की जा सकती है।

☞ सार्वजनिक जगह पर किसी महिला को टारगेट कर अश्लील गाने गाना भी यौन हिंसा के दायरे में है। इस पर आईपीसी की धारा 294 के तहत तीन महीने की जेल का प्रावधान है।

☞ सेक्सुअल फेवर पाने के लिए किसी पर दबाव डालने पर धारा 354 के तहत तीन साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

☞ महिला की जानकारी के बिना उसका पीछा करना धारा 354 डी के तहत तीन साल की जेल, जुर्माना या दोनों करवा सकता है।

रेल रश्मि

☞ विरोध के बावजूद शारीरिक संबंध का दबाव डालने, शरीर या सम्मान पर चोट पहुँचाने पर धारा 503 के तहत दो साल की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

☞ बिना बताये फोटो खींचने, शेयर करने पर 354सी के तहत दो साल की सजा का प्रावधान है। दोबारा गलती करने पर 5-7 साल की सजा हो सकती है।

☞ शारीरिक संपर्क के लिए दबाव डालना, सहकर्मी, वरिष्ठ या किसी भी स्तर के कार्मिक द्वारा यौन संबंध के लिए अनुरोध या दबाव डालना, शारीरिक बनावट या वस्त्रों आदि पर भद्दी टिप्पणी, कामुक या अश्लील साहित्य दिखाना, मौखिक या अमौखिक तरीके से यौन प्रकृति का अश्लील व्यवहार करना भी अपराध है।

☞ कार्यक्रम या किसी मौके पर यौन हिंसा का शिकार होने पर एफआईआर करने का अधिकार है।

☞ अश्लील फोटो शेयर करने या सम्मान को ठेस पहुँचाने पर धारा 499 के तहत दो साल की सजा हो सकती है।

☞ सार्वजनिक स्थलों पर सेक्सुअल टिप्पणी पर धारा 509 के तहत तीन साल की सजा हो सकती है।

☞ घरेलू कामों वाली नौकरियों के दौरान ऐसी समस्या होने पर भी अपनी ज्ञात भाषा में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

फाँसी तक है यौन अपराध की सजा

बाल आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 में आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम कानून, आपराधिक कानून प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा पॉस्को (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून) में संशोधन कर ऐसे अपराध के दोषी को मौत की सजा से दंडित करने के नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को समझते हुए कानून में उनके निमित्त सुविधाएँ हैं। पीड़ित महिला, परिजन या उससे किसी भी रूप में जुड़े लोगों को चाहिए कि वे कानून में मौजूदा इन बिंदुओं को जानें और उनका इस्तेमाल करें जिससे एक तरफ बुरे लोगों को दंड मिले वहीं दूसरी ओर अपराधियों का हौसला टूटे। ❖❖

सुपुत्री श्री आर.डी. पांडेय
ग्राम- मंझगाँवा, पो.-जगतबेला
जिला-गोरखपुर-273015

◆ लेख ◆

नारी

कुमुद श्रीवास्तव

नारी इसके बहुत से रूप हैं- माँ, बहन, पत्नी आदि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माँ की है। इसके अभाव में बहन, पत्नी यहाँ तक कि सृष्टि की संरचना भी संभव नहीं थी।

महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के आशा सर्ग में इसकी अच्छी संरचना की है जब एकदम सृष्टि का विनाश हो गया सभी जलमग्न हो गए उस समय मात्र मनु और श्रद्धा बचे यही सृष्टि के कर्णधार हैं।

कहने का तात्पर्य है जब से सृष्टि का संचार हुआ है तब से नारी एक से एक महान हस्ती के रूप में हमारे सामने आई।

समय बहुत आगे है हर क्षेत्र में वे पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चलने को आतुर हैं। इतना ही नहीं आज भी लगभग सभी के रग-राग में बसा हुआ है कि औरत तो औरत ही है उसको प्रताड़ित करने में उनको नीचा दिखाने में शायद ही पीछे रहें।

अंततोगत्वा हर व्यक्ति को इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए इसी से नारी का अस्तित्व सम्मान सभी कुछ बचा रह सकता है।

हमें लगता है हमारी शिक्षा भी तभी परिपूर्ण कही जा सकती है जब संसार में फैले पशुवत व्यवहार का जड़ से नाश हो। इसी से हमारी नारी समाज सशक्त होगी और इसका निखरता रूप सामने आएगा।

इतना सब होने के साथ-साथ हर नारी को कभी अपने

को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने वजूद को बचाए रखने के लिए हर पल आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। इन सब बातों से परे मुख्य बात यह है कि स्त्री-पुरुष दोनों ही गाड़ी के दो पहिये हैं। अगर इनको किसी तरह से उपेक्षित किया गया या इनकी प्रताड़ना की गयी तो गृहस्थी ही नहीं समाज का भी सुविकास होना असंभव है।

अतः आवश्यकता है इनमें चेतना लाने की, इनको अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहने की।

अंततः मैं यही कहती हूँ-

नारी एक शक्ति, अवला न समझना

हर रूप में आ जाएगी, दुर्बल न समझना।

नारी को सदैव एक कमजोर, असहाय प्राणी मानकर उनको जब चाहे जैसे उपयोग किया गया है। इनके संबंध में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है-

अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी,

आँचल में है दूध और आँखों में पानी।

अब वर्तमान युग में हर नारी के अंदर जो विलक्षण योग्यता सुसुप्त अवस्था में थी उनको विकास करने का उन्हें अवसर प्राप्त हो गया है। अब शायद ही कोई दीन हीन हो, फिर भी यदा-कदा या यूँ कहें सर्वदा जहाँ अवसर मिला नारी के शोषण से कोई अपने को दूर नहीं रख पाया। ❖❖

मु. आँधियारीबाग (उत्तरी)

गोरखपुर

नारी को कभी अपनों ने
तो कभी परायों ने
तो कभी अजनबी सायों ने
तंग किया चलती राहों में
कभी दर्द में
कभी मर्ज में
तो कभी फर्ज में
वेदना मिली इस धरती के नरक में
कभी शोर में
कभी भोर में
कभी जोर में
संताप सहे अपनी ओर से



लेख

चाहत: नई सदी की नारी की

सुनील कुमार

मैं हूँ आज की नारी, मुझे कुछ बनना है, आगे बढ़ना है..... कहती हुई 21वीं सदी की नारी इतनी आगे बढ़ गई कि उसके मुकाबले पुरुष पीछे ही रह गए। दुनिया भर के पुरुष इस शक्ति से अर्चिभूत हैं।

औरत समाज में हमेशा हाशिए पर रही है। आदिकाल से यह दुनिया पुरुषों की रही है। जबकि ओज, तेज से परिपूर्ण नारी यशस्वी है, तपस्वी है, राजस्वी है, त्याग की मूर्ति है, पुरुष की सहचरी है, साधिन है, सहयोगी है। पूरा विश्व जानता है कि भारत में तो यह आराध्य रही है। क्या आप नहीं जानते कि नारी पवित्रता की पर्याय रही है? तभी तो नदियों के नाम औरतों के नाम पर हैं- गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी.....

आधुनिकता, विज्ञान, टेक्नालॉजी, इंटरनेट..... के बावजूद आज भी अधिकांश महिलाएँ भात ही पका और परोस रही हैं। स्वेच्छा या स्वाधीनता के भ्रम में पुरुष के हाथ का खिलौना बन रही हैं। आज भी हमारी आधी आबादी पिछड़ी, अनपढ़ व अस्वस्थ है। 20वीं सदी की महिला की जहाँ आँखें नीची, गरदन झुकी, जबान पर ताले का बोझ होता था, वहीं नई 21वीं सदी की महिला की आँखें खुली, गरदन तनी हुई और विरोध के मुखर स्वर नजर आते हैं। आज महिलाओं ने घर और बाहर दोनों बखूबी संभालकर दिखाया है, परंतु पुरुषों का उनके प्रति नजरिया नहीं बदला। संवेदनशील पुरुष नारी को स्वतंत्रता देना चाहता तो है, परंतु कहीं नारी उससे आगे न बढ़ जाए इस हीन भावना से ग्रसित रहता है। जबकि नारी पुरुष से एक सहज मानवीय संबंध चाहती है। उसे पुरुष से रिश्ते नहीं, रिश्ते से मुक्ति चाहिए।

रोज अखबार उठाए और महिलाओं की दुर्दशा पर चार-चार आँसू बहाए। औरत को पत्थर की देवी मूर्ति न समझिए और न ही उसे मवेशियों की तरह हॉकिए। औरत अपनी दुर्गति माँ की पेट से झेलना शुरू करती है जिसे वह चिता तक झेलती है। घर, समाज, सड़क सभी जगह उसे अपने अस्तित्व से जुड़े खतरों को झेलना पड़ता है। इन सबके बावजूद भी वह आगे बढ़ रही है। महिलाओं की यही तरक्की पुरुष के अहं को झकझोर रही है। तभी तो वह औरत को बार-बार रौंदने की सोचता है। महिला समाज में 'टेक ओवर' करने के रूप में उभरी है। उसने कड़ी रेल रश्मि

मेहनत की बदौलत बहुत तरक्की की है, पर उसका समाज में सम्मान नहीं बढ़ा। उसके वजूद से जुड़े प्रश्न आज भी उठते हैं। सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी उसका नाम, उसकी तरक्की उसे खोखला महसूस करा जाते हैं क्यों? क्योंकि पुरुष वैज्ञानिक बनकर चाँद पर पहुँच तो गया पर मानसिक रूप से वह आज भी रसातल में ही है।

सामूहिक बलात्कार एवं निर्वस्त्र करके सड़कों व गलियों में घुमाया जाना, कभी पति द्वारा घर से बाहर कर दिया जाना, भ्रूण हत्या के साथ-साथ नवजात बच्चियों का गला घोटना, औरत से उम्मीद रखना कि वह अपना मुँह बंद रखे। कभी उसे डायन करार देकर मार डाला गया। इतना ही नहीं, पत्नी को किसी से बात करते देखने पर शक की निगाहों से देखना। ये सभी आज भी यथार्थ की कठोरता हैं, जिससे रूबरू होना खत्म नहीं हुआ है। जबकि नई 21वीं सदी की नारी पुरुष से सवाया हो चली है। वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को बखूबी तैयार है। उसमें अब जिंदगी जीने का जज्बा पैदा हो चुका है। उसने अपने जीवन का लक्ष्य- ऊँचा पद, अच्छा घर, अच्छे आभूषण, अच्छे कपड़े या एक अच्छा पति और हँसते-खिलखिलाते अपने मंजिलों की ओर बढ़ते बच्चों को पा लिया है। पुरुष-प्रधान समाज से बाहर निकल आज की नारी इज्जत के साथ बराबरी का हक चाहती है, जिसकी शुरुआत घर से ही होती है। घर का कैसा भी कोई काम हो, सबसे पहले औरत की सुनवाई घर की असेंबली में तो हो। पुरुष अपनी सर्वश्रेष्ठता और महानता से जुड़ी 'मेल डोमिनेंस' से बाहर तो निकले। आज की नारी चाहती है कि अगर रसोई में बादाम भींगे हैं तो वह उसे बेटे और बेटी में बराबर-बराबर बाँटे। यह नहीं कि बेटे को 5 और बेटी को 2 ही बादाम मिले। नई 21वीं सदी की यह 'न्यू स्मार्ट वूमन' अपने प्रति भावनाओं, प्रतिक्रियाओं में बदलाव चाहती है। वह पुरुष की सोच के चक्रव्यूह से बाहर निकल चुकी है। कठपुतली की तरह घुटने टेक-टेककर फुदकने वाली रूटीन से छुटकारा पाना चाहती है। थिरकना तो नारी की प्रकृति के साथ-साथ प्रवृत्ति भी है। पुरुष प्रधान समाज उसे अपने इशारों की डोर से बाँधकर अंकुश न लगाए, उसे अपने तौर-तरीके से साँस लेने की छूट दे तब तो।

इस नई सदी की नारी का नजरिया विवाह की

तरफ भी बदला है। वह शादी में ठहराव, सुरक्षा, ईमानदारी, शारीरिक और भावनात्मक सुख को लेकर परिपूर्णता चाहती है। वह संबंधों में पूर्णतया सुख तलाशती है। आज की नारी पत्नी के रूप में पति को दोस्त के रूप में पाना चाहती है न कि परमेश्वर या मालिक के रूप में। वह चाहती है कि दांपत्य रिश्ता देवता, आराध्य, पूजा-अर्चना का न होकर स्नेह, प्यार और हमराज का हो। वह कभी नहीं चाहती कि पति हमेशा अपने अहं की दोनाली बंदूक से लैस होकर उसका आलिंगन करे। वह विवाह मात्र पति के नाम की तख्ती लटकाने के लिए नहीं करना चाहती। वह पुरुष के प्यार में भरपूर डूबने को तैयार है, पर प्यार के नाम पर दमघोंटू माहौल में सिसकने को कतई तैयार नहीं है।

अधिकतर प्लस प्वाइंट्स अपने अंदर समेटती आज की नई सदी की नारी को यदि कोई चीज नागवार लगता है तो वह उसे खुलकर नकारती है और चाहती है कि पुरुष भी उसका साथ दे। आज नारी सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक अपने 'कंप्लीट वूमन' होने के हजारों प्रमाण देती नजर आ रही है, परंतु उसका कोई नाम नहीं है। पुरुष रिश्तों में उसे ठगी हुई महसूस न कराए। महिलाओं ने खुलकर कहना शुरू किया है तो पुरुष प्रधान समाज को उसके मुँह खुलने से शिकायत होने लगी है। नई सदी की नारी ने सामाजिक अन्याय के प्रति धार्मिक वितंडावाद और अमानवीय षड्यंत्रों के विरुद्ध मुँह खोला है। वह स्वयं को झूठी और अभिशप्त कहलवाना नहीं चाहती है। वह पिता, पति, बेटे और भाई के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हुए परिवार और समाज से मान-सम्मान चाहती है।

आज की नारी गर्भधारण से जुड़ी अपनी सोच में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। वह गर्भधारण को सुख का कारण मानने लगी है न कि प्रताड़ना का। वह चाहती है कि पुरुष उसके मातृत्व रूप को सशक्त बनाए, न कि उसके कोख को अपने काबू में रखने की कोशिश करे। वह इस बात को सिरे से खारिज करती है कि वह 'लाइट-एंड-साउंड शो' की बेतार तस्वीर नहीं है, बल्कि एक जीती-जागती सशक्त व्यक्तित्व की स्वामिनी है। पुरुष उसकी काया को माखौल का विषय न बनाए। वह सड़क से लेकर संसद तक पुरुष की कटखनी प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहती है। वह दिल और दिमाग से भी यही चाहती है कि पुरुष उसकी तरक्की की खुलकर सराहना करे। उसे शब्दों और नजरों से बेवजह छीलता न रहे। जिंदगी के हर क्षेत्र में पुरुष के मुकाबले इक्कीस होती महिलाओं को सहज रूप में स्वीकार करे। कुछ ऐसी ही पहचान नई सदी की नारी इस सदी के पुरुष से चाहती है।

संविधान ने जरूर औरत को बिना किसी भेदभाव के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अधिकार सौंपा है, परंतु आज भी ऐसी अड़चनें हैं जिनकी वजह से नारी समान सामाजिक स्थिति नहीं प्राप्त कर सकी है। उसे अपने हक के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ❖❖

राजभाषा अधिकारी/मुख्या.

पूर्वोत्तर रेलवे

गोरखपुर

संपर्क: 9794840626

एक कली खिलने दो,
एक सदी महकने दो,
चीर धरती का सीना,
एक अंकुर बदलाव का,
रूढ़ियों के धरातल पर,
पनपने दो,
एक फलदार वृक्ष को
वंश की कटार से,
जड़ विहीन न होने दो,
एक नव जागृति की
किरण
कुरीतियों के पार,
बिखरने दो।



लेख

अंत्योदय कल्याण केंद्र: एक अनूठी पहल

संजीव कुमार

अपने लिए तो सभी

काम करते हैं। परमार्थ के लिए कुछ ही लोग काम करते हैं। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग ने पहल की है।

रेलवे बोर्ड के संदेश पर यांत्रिक विभाग के प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री ए.के.सिंह के मार्गदर्शन से यांत्रिक विभाग के 15 इंजीनियरों की टीम ने मिलकर दिसंबर 2017 में अंत्योदय कल्याण केंद्र की शुरुआत की है। इस केंद्र में रेलवे स्टेशन की पटरियों पर जान-जोखिम में डालकर पानी की खाली बोतलों और प्लास्टिक की थैलियाँ बटोरने वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। इनके लिए कापी-किताबों एवं ड्रेस का इंतजाम भी मुफ्त में किया जाता है। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा था, लेकिन अब ये नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। बोतलों में पानी भरकर बेचना और खाली बोतलों बीनना इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये पढ़-लिखकर कुछ बनना चाहते हैं। इतनी समझ अब इनमें विकसित हो गई है। स्टेशन परिसर में घूमने वाले इन बच्चों में यह बदलाव, अचानक नहीं आया है, बल्कि यांत्रिक विभाग के 15 इंजीनियरों की इच्छा-शक्ति व प्रेरणा का नतीजा है। ये इंजीनियर न केवल गरीब, असहाय परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि आचरण और अनुशासन के जरिए उनके जीवन-स्तर को सुधारने में लगे हुए हैं। रेलवे परिसर में स्थापित अंत्योदय कल्याण केंद्र में इन इंजीनियरों ने पढ़ाई के बेहतर माहौल का सृजन करने में भी सफलता पाई है। जो बच्चे पहले पढ़ना नहीं चाहते थे या इधर-उधर भागने की फिराक में रहते थे, वे अब पढ़ने आने लगे हैं। इंजीनियरों ने बच्चों को खोजकर उनके माता-पिता से मिलकर उनसे जुड़ते गए और उन्हें जोड़ते गए। आज ऐसे बच्चों की संख्या दो दर्जन के करीब है जिनमें से आधे से अधिक बच्चों का आधार कार्ड भी

बनवा दिया गया है। पढ़ाने के लिए यांत्रिक विभाग के इन इंजीनियरों की तीन-तीन की टीम बनाई गई है। सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना सुबह 9.30 बजे से दोपहर एक बजे तक पढ़ाई होती है। अंत्योदय कल्याण केंद्र में स्थाई क्लास की व्यवस्था है। रेलवे के अन्य अधिकारी भी मदद कर रहे हैं। अब तक 33 अधिकारियों ने 50 हजार रुपये का सहयोग भी किया है। यह एक अच्छी पहल है। इस मुहिम में अन्य विभाग के कर्मचारीगण भी अपना सहयोग दे सकते हैं। कुछ समय इन बच्चों को पढ़ाकर या यथाशक्ति आर्थिक योगदान देकर भी ऐसे बच्चों को भटकाव के रास्ते से उबारा जा सकता है। इन बच्चों में ऐसे बच्चे भी हैं जो नशा करते थे। आज यदि इन बच्चों को समय पर नहीं संभाला गया तो ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

इसके साथ ही यांत्रिक विभाग के इंजीनियरों ने बेकार पड़े सामान से इज्जतघर बना डाले जिससे आस-पास की खुली झोपड़ियों में रहने वाले लोग यहाँ शौच कर सके। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक विभाग के इंजीनियरों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यह स्वच्छता अभियान को भी चरितार्थ करता है।

अतः पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक विभाग की तरह अगर अन्य विभाग, रेलवे जंक्शनों व अन्य रेलों के अधिकारी व कर्मचारीगण भी पहल करें तो मैं समझता हूँ कि इससे न केवल स्वच्छता अभियान को बल मिलेगा बल्कि गरीब, बेसहारा व अनाथ बच्चों की जिंदगी में भी अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। इससे एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकेगा। ❖❖

कनिष्ठ अनुवादक
केंद्रीय हिंदी अनुभाग
मुकाधि कार्यालय, गोरखपुर
संपर्क: 8400548660

तोड़ के हर पिंजरा
जाने कब मैं उड़ जाऊँगी
चाहे लाख बिछा लो बंदिशें
फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊँगी मैं
हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ।

मम्मी का रोना बंटी

को एकाएक बड़ा बना गया। बड़ा और समझदार। मम्मी की पापा से लड़ाई हो गई है, पक्की वाली! दोस्ती तो अब हो ही नहीं सकती। मम्मी ने खुद उसे बताया। बिल्कुल ऐसे, जैसे बड़ों को बताया जाता है। साथ ही यह भी कि अब मम्मी के लिए जो भी है, बंटी ही है।

और मम्मी के एकमात्र सहारे बंटी केपर जैसे हजार-हजार जिम्मेदारियाँ आ गई हैं मम्मी को प्रसन्न रखने की। हर काम में मम्मी की मदद करने की। कोई भी ऐसा काम न करने की, जिससे मम्मी दुखी और परेशान हों, वह सब करेगा, करता भी है। बस, न चाहते हुए भी पापा की याद उसे आ जाती है। लेकिन नहीं, अब वह उनके दिए हुए खिलौनों से नहीं खेलता। कभी उनकी बात भी नहीं करता। मम्मी को शायद अच्छा न लगे। रैक पर रखी हुई पापा की एकमात्र तसवीर को भी उसने एक दिन चुपचाप उठाकर खिलौनों की अलमारी में बंद कर दिया-मम्मी से लड़ाई कर ली तो अब बैठो यहाँ और क्या? सारे दिन मम्मी को उदास रखने वाले, रूलाने वाले पापा की यही सजा है, बस! और उसे लगा जैसे मम्मी की ओर से उसने पापा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।

मम्मी ने खाली रैक देखा और बंटी को देखने लगीं एकटक। वह नीचे नजरें झुकाए खड़ा रहा। पता नहीं कहीं नाराज ही न हो जाए। पर मम्मी ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। फिर प्यार किया। बहुत हल्के मुस्कराई भी, शायद उसकी समझदारी पर। पर न जाने क्यों? उनकी आँखें नहीं मुस्करा पाई, बल्कि उदास हो गईं। बिना आँसू के भी जैसे रोई-रोई हो जाया करती हैं, वैसी ही। तब वह एक क्षण को समझ ही नहीं पाया कि उसने ठीक किया है या गलत। तसवीर हटने से मम्मी खुश हैं या उदास। क्योंकि मम्मी के होंठ तो मुस्कराए पर आँखें उदास हो गईं।

कोई बात नहीं, धीरे-धीरे वह इन बातों को भी समझ लेगा। जितनी समझ आ गई है, वही क्या कम है?

बाहर निकलकर आम के पौधों को देखता-बस कुल दो नई पत्तियाँ, कुल चार पत्तियाँ, और लगता, वह तो उसके मुकाबले में बहुत-बहुत बड़ा हो गया है।

माली दादा कहते थे तुम्हारे साथ-साथ बड़ा होगा। कैसे होगा मेरे साथ-साथ बड़ा? कोई आसान है इतनी जल्दी-जल्दी बड़ा होना, कोई हो सकता है?

पापा ने इस बार उसे चिट्ठी लिखने को कहा था। पर उसने नहीं लिखी। लिखना तो खूब अच्छी तरह जानता है, लिख भी सकता है। पापा से कहा भी था कि अब वह जरूर बराबर चिट्ठियाँ लिखा करेगा। पर तब वह सारी बात समझता कहाँ था? तब तो उसे यह भी नहीं मालूम था कि मम्मी-पापा की पक्की वाली कुट्टी हो गई है। पर अब कैसे लिख सकता है भला! वह पूरी तरह मम्मी की तरफ है और मम्मी से उनकी कुट्टी है तो फिर बंटी से भी है। ऐसा ही तो होता है।

फिर भी जब मम्मी इधर-उधर होती हैं तो वह चुपचाप अलमारी खोलकर उस किताब को निकालकर देखता है, जिसके पीछे के कवर पर पापा अपना पता लिख गए थे। अब तो उसे मुँहजबानी याद भी हो गया है- 8ए, एलगिन रोड। पता पढ़ने के साथ ही उसके मन में पापा के घर के नक्शे उभरने लगते हैं, खूब-खूब ऊँचा मकान। एलगिन रोड के नक्शे उभरते हैं, कलकत्ते के नक्शे उभरते हैं- हावड़ा ब्रिज, जू, लेक्स, बोटोनिकल गार्डन, बिना तने का खूब बड़ा-सा बड़ का पेड़। पी.सी.सरकार का जादू- और फिर इन सबको दबोचती हुई, कुचलती हुई समझदारी उभरती है कि नहीं उसे इन सबके बारे में सोचना भी नहीं है। पर इन सबको कुचलने के साथ उसके भीतर जाने क्या कुछ कुचलता रहता है। तब वह अपने-आपसे प्रॉमिस करता कि कभी भी पापा की बात नहीं सोचेगा। मन ही मन किए हुए प्रॉमिस पर जब पूरी तरह भरोसा नहीं हो पाता तब जोर-जोर से बोलकर प्रॉमिस करता है। अपनी ही आवाज सुनकर उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागता।

मम्मी आजकल पहले ही तरह सारे दिन उदास नहीं रहती। वह बहुत अच्छा बन गया है शायद इसीलिए। वह बड़ा होकर और भी अच्छा बन जाएगा तो फिर बहुत खुश रहने लगेंगी। आजकल शाम को कभी-कभी बाहर भी जाती हैं। वह कभी मना नहीं करता। पूरी तरह आश्वस्त कर देता है, मम्मी जाओ मैं पीछे पढ़ूँगा। फूफी से खाना लेकर खा लूँगा। बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। फिर मम्मी उससे पूछतीं, अच्छा बता तो बंटी कौन-सी साड़ी पहनूँ? तब बिल्कुल बड़ों की तरह वह सलाह देता। बिना सोचे-समझे नहीं, सारी साड़ियाँ देखकर, खूब सोच-समझकर।

और मम्मी जब वही साड़ी पहन लेतीं तो फिर अपनी ही नजरों में वह बहुत महत्वपूर्ण हो उठता। मन में कहीं मम्मी की मदद करने का संतोष भर जाता।

फिर जब मम्मी उसकी ओर देखती हैं तो उनकी आँखों से प्यार झरता रहता है।

वह मम्मी को जाने के लिए कह तो देता है, पर मम्मी जब चली जाती हैं तो घर जैसे और भी ज्यादा खाली-खाली हो जाता है। सारे दिन बोर होते बंटी की बोरियत और ज्यादा बढ़ जाती है। स्कूल खुला होता तो समझदार बनकर रहना कितना सरल हो जाता। आधा दिन स्कूल में कट जाता, आधा दिन समझदार होकर रह लिए। अब छुट्टियों में सारे दिन क्या करे वह? आखिर पढ़े भी कब तक? कभी फूफी से बतियाता रहता, कभी टीटू के घर चला जाता। या फिर घर के लोहे के फाटक पर झूलता या खड़ा-खड़ा सड़क ही देखता रहता। पर सड़क भी तो ऐसी है कि बहुत कम लोग इधर आते-जाते हैं। शहर से कटी-छँटी, बिल्कुल एक तरफ के है वह जगह। थोड़ी दूर और आगे तो बस्ती बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। बस, सड़क बनी हुई है और दोनों ओर के दूर-दूर तक फैले उबड़-खाबड़ मैदान। और फिर उन मैदानों की सरहदें बनाती हुई पहाड़ियाँ। खड़ा वह फाटक पर रहता है पर मन उसका दूर-दूर दौड़ता रहता है। इन पहाड़ियों के पार क्या होगा, फिर उसके आगे क्या होगा, फिर उसके भी आगे? मन में तरह-तरह के चित्र उभरते हैं, डरावने भी और रंगीन भी। राक्षसों की डरावनी गुफा, परियों के सोने-चाँदी के महल।

और फिर इन सबके बीच में से उभर आता है-कलकत्ता किस तरफ होगा? कितनी दूर होगा यहाँ से?

तब खट से उँगलियों का क्रास बन जाता। प्रॉमिस टूटने का पाप न लगे।

मम्मी की बगल में लेटा बंटी आसमान देख रहा है। झिलमिल-झिलमिल करते तारे छिटके हैं आसमान में। सप्तर्षि मंडल है, वह आकाश-गंगा है, वह तेज-तेज चमकनेवाला ध्रुवतारा है। इस तारे को दिखा-दिखाकर ही तो मम्मी ने उसे बालक ध्रुव की कहानी सुनाई थी।

पाँच साल के बच्चे ने तपस्या की थी। इतनी सारी तपस्या कि भगवान भी खुश हो गए।

कैसे करते होंगे तपस्या? उसने मम्मी के पास सरककर पूछा, मम्मी, तपस्या कैसे करते हैं?

तपस्या? क्यों? बताओ न मम्मी, मैं जो पूछ रहा हूँ। अपने मन को मार लो, बस यही सबसे बड़ी तपस्या है। मम्मी ने जैसे टालने के लिए कह दिया।

बालक ध्रुव ने तो जंगल में जाकर तपस्या की थी, न? की होगी रे! और मम्मी ने तर्किए में इस तरह मुँह गड़ा लिया जैसे वह अब और बात नहीं करना चाहती हों।

मन को मारना भी तपस्या करना हो सकता है क्या? मन तो आजकल वह भी कितना मारता है अपना, तो

क्या वह भी तपस्या कर रहा है? एक अजीब-सी पुलक उसके मन में जागी। एक अजीब-सा आत्मविश्वास। कौन खुश होगा उसकी तपस्या से? भगवान..... पापा....

खट से उँगलियों का क्रास बन गया। पर नहीं, वह पापा को याद थोड़े ही कर रहा है। वह तो केवल सोच रहा है कि खुश होकर पापा फिर से उनके साथ रहने लग जाएँ तो? यह तो मम्मी की बात हुई, मम्मी की खुशी की। इससे प्रॉमिस थोड़े ही टूटेगा। मन को तसल्ली हुई।

मम्मी से पूछे? पर नहीं, ऐसी बात भी मम्मी से नहीं पूछनी चाहिए।

हूँ। न हों पापा खुश। वह मम्मी को ही खुश करेगा। खुश नहीं, सुखी करेगा। उसके सिवाए मम्मी का है ही कौन? उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने तर्किए में मुँह गड़ा रखा है। सचमुच उसकी मम्मी दुखी है।

जब भी वह मम्मी को लेकर आगे की बात सोचता, उसे हमेशा लगता जैसे मम्मी पर दुख ही दुख टूटे पड़ रहे हैं और वह अपने नन्हें-नन्हें हाथों से उन्हें दूर किए जा रहा है। कैसे सुख हैं सो नहीं जानता। उन्हें कैसे दूर कर रहा है यह भी नहीं जानता। बस, मम्मी दुखी हैं वह मम्मी का अकेला बेटा उन्हें दूर कर रहा है।

कई बार मन होता मम्मी को यह बात बताए। पर कैसे? अच्छा क्या तपस्या से पक्की कुट्टी को खत्म नहीं किया जा सकता?

मम्मी? उसने धीरे से पूछा।

हूँ।

मम्मी, तपस्या करके मम्मी-पापा की कुट्टी नहीं खत्म की जा सकती? मम्मी ने सिर उठाया और एक क्षण उसका चेहरा देखती रहीं। फिर बाँह में भरकर उसे अपने में भींच लिया।

पापा की बात करके गलती तो नहीं कर दी उसने?

तू पापा के साथ रहना चाहता है?

नहीं मम्मी, मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो...

बंटी ने इस तरह कहा जैसे मम्मी कहीं उसे गलत न समझ ले।

क्यों न बेटा, तुझे पापा चाहिए? मन करता है? पापा हों।

बंटी एक क्षण असमंजस में रहा। हाँ कहने से कहीं मम्मी नाराज न हो जाएँ। पर झूठ बोलने से तपस्या जो बिगड़ जाएगी। उसने धीरे से हाँ कह दिया।

मम्मी उसके बाल सहलाती रहीं। पता नहीं उसमें पापा मिल जाएँगे का आश्वासन था या पापा तो नहीं मिल सकते की मजबूरी। ❖❖

(प्रख्यात पुस्तक 'आपका बंटी' से साभार)

रमजान के तीस

रोजों के बाद आज ईद आयी है। कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। किसी के कुरते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई-तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी-जल्दी बैलों को सानी-पानी दे दें। ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जाएगी। तीन कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना-भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं; लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े-बूढ़ों के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन! सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवैयाँ खाएँगे। वह क्या जानें कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायमअली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आँखें बदल लें, यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार-बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, एक-दो, दस-बारह। उसके पास बारह पैसे हैं। मोहसिन के पास एक, दो, तीन, आठ, नौ, पंद्रह पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएँगे- खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या-क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह चार-पाँच साल का गरीब सूरत, दुबला-पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती-होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला, क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी, वह दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं। बहुत-सी थैलियाँ लेकर आएँगे। अम्मीजान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी-अच्छी चीजें लाने गई हैं;

रेल रश्मि

इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा! उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी-धुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएँगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं! आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद! उसे किसी के मरने-जीने के क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल-बल लेकर आये, हामिद की आनंद-भरी चितबन उसका विध्वंस कर देगी।

हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है- तुम डरना नहीं अम्माँ, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना! अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही-सी जान! तीन कोस चलेगा कैसे! पैर में छाले पड़ जाएँगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी-थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी; लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते-लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। आठ आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है, तो दो पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल दो आने पैसे बच रहे हैं। तीन पैसे हामिद की जेब में, पाँच अमीना के बटुवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार! अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतारानी और चूड़हारिन सभी तो आएँगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आँखों नहीं लगता। किस-किस से मुँह चुरायेगी और मुँह क्यों चुराए? साल-भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत

से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएँगे।

गाँव से मेला चला। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे-धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गये हैं। वह कभी थक सकता है! शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार-दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी-कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फर्लांग पर हैं। खूब हँस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है।

बड़ी-बड़ी इमारतें आने लगीं; यह अदालत है, यह कालेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कालेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं जी! बड़े-बड़े आदमी हैं, सच! उनकी बड़ी-बड़ी मूँछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर! हामिद के मदरसे में दो-तीन बड़े-बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब-घर में जादू होता है। सुना है, यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े-बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों-दाढ़ी वाले। और मेमें खेलती हैं, सच! हमारी अम्माँ को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकें। घुमाते ही लुढ़क न जाएँ।

महमूद ने कहा- हमारी अम्मीजान का तो हाथ काँपने लगे, अल्ला कसम।

मोहसिन बोला- अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं। जरा-सा बैट पकड़ लेंगी, तो हाथ काँपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं। पाँच घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखें तले अँधेरा आ जाए।

महमूद- लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल-कूद तो नहीं सकतीं!

मोहसिन- हाँ, उछल-कूद नहीं सकतीं, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्माँ इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका, सच!

आगे चले। यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कानिसटिबल कवायद करते हैं। रात को बेचारे घूम-घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाएँ। मोहसिन ने प्रतिवाद

किया- यह कानिसटिबल पहरा देते हैं? तब तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर-डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं, चोरी करो और आप दूसरे मुहल्ले में जाकर 'जागते रहो! जागते रहो!' पुकारते हैं। जभी इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कानिसटिबल हैं। बीस रुपया महीना पाते हैं; लेकिन पचास रुपये घर भेजते हैं। अल्ला कसम! मैंने एक बार पूछा था कि मामू, आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हँसकर कहने लगे- बेटा, अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले- हमलोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएँ। हम तो इतना ही लेते हैं, जिससे अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए।

हामिद ने पूछा- यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं?

मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला- अरे, पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा। पकड़ने वाले तो यह खुद हैं, लेकिन अल्लाह, इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई-पूँजी जल गई। एक बरतन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्ला कसम, पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से एक सौ रुपया कर्ज लाए तो बरतन-भाँड़े आए।

हामिद- एक सौ तो पचास से ज्यादा होते हैं?

'कहाँ पचास, कहाँ एक सौ। पचास एक थैली-भर होता है। सौ तो दो थैलियों में भी न आवें।'

अब बस्ती घनी होने लगी है। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगीं। एक-से-एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के-ताँगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा-सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते, ताकते ही रह जाते और पीछे से बार-बार हार्न की आवाज होने पर भी न चेतते! हामिद तो मोटर के नीचे जाते-जाते बचा।

सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया। नीचे पक्का फर्श है, जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। और रोजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था! लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक

जाते हैं, फिर सब-के-सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएँ, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएँ, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थीं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है।

नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है। एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चर्खी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और पच्चीस चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। तीन ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का एक तिहाई जरा-सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता।

सब चर्खियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह-तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह! कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ीवाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है। बस, मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है, अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब दो-दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं, इतने महँगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े, तो चूर-चूर हो जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के!

मोहसिन- मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा; साँझ-सबरे!

महमूद- और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आवेगा, तो फौरन बंदूक से फौर कर देगा!

नूरे- और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा।

सम्मी- और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी।

हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी ही के

तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएँ। लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं; लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है।

खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक् है। अभागे के पास तीन पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है।

मोहसिन कहता है-हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है।

हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद हैं मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुँह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियाँ बजा-बजाकर हँसते हैं। हामिद खिसिया जाता है।

मोहसिन- अच्छा, अबकी जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जाओ।

हामिद- रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं?

सम्मी- तीन ही पैसे तो हैं। तीन पैसे में क्या-क्या लोगे?

महमूद- हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है।

हामिद- मिठाई कौन बड़ी नेमत है। किताब में इसकी कितनी बुराइयाँ लिखी हैं।

मोहसिन- लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते?

महमूद- हम समझते हैं, इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएँगे, तो हमें ललचा-ललचाकर खाएगा।

मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे खयाल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तब से रोटियाँ उतारती हैं, तो हाथ जल जाता है; अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी? फिर उनकी उँगलियाँ कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा! व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुँचते-पहुँचते टूट-फूट

बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं, ज़िद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आवे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्माँ बेचारी को कहाँ फुरसत है कि बाजार आएँ, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है।

हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब-के-सब शर्बत पी रहे हैं। देखो, सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ लीं, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो। मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा, तो पूछूँगा। खाएँ मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े-फुँसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएँगे और मार खाएँगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्माँ चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी- मेरा बच्चा अम्माँ के लिए चिमटा लाया है! हजारों दुआएँ देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएँगी। सारे गाँव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएँ देगा। बड़ों का दुआएँ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं, और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी तो मोहसिन और महमूद यों मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊँगा। खेलें खिलौने और खाएँ मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी-न-कभी आएँगे। अम्मा भी आएँगी ही। फिर इन लोगों से पूछूँगा, कितने खिलौने लोग? एक-एक को टोकरियाँ खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ लीं, तो चिढ़ा-चिढ़ाकर खाने लगे। सब-के-सब खूब हँसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हँसें मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा- यह चिमटा कितने का है?

दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा- यह तुम्हारे काम का नहीं है जी!

‘बिकाऊ है कि नहीं?’

‘बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं?’

‘तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है?’

‘छः पैसे लगेंगे।’

हामिद का दिल बैठ गया।

‘ठीक-ठीक बताओ?’

‘ठीक-ठीक पाँच पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो।’

हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा- तीन पैसे लो?

यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुनें, सब-के-सब क्या-क्या आलोचनाएँ करते हैं।

मोहसिन ने हँसकर कहा- यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा?

हामिद ने चिमटे को जमीन में पटककर कहा- जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो। सारी पसलियाँ चूर-चूर हो जाएँ बच्चा की।

महमूद बोला- तो यह चिमटा कोई खिलौना है?

हामिद- खिलौना क्यों नहीं? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई। हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ, तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावें, मेरे चिमटे का बाल भी बाँका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा।

सम्मी ने खँजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला- मेरी खँजरी से बदलोगे? दो आने की है।

हामिद ने खँजरी की ओर उपेक्षा से देखा- मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खँजरी का पेट फाड़ डाले। बस, एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब-ढब बोलने लगी। जरा-सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा।

चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया; लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं! फिर मेले से दूर निकल आए हैं, नौ कब के बज गए, धूप तेज हो रही है। घर पहुँचने की जल्दी हो रही है। बाप से ज़िद भी करें, तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक। इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे।

अब बालकों के दो दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। सम्मी तो विधर्मी हो गया। दूसरे पक्ष से जा मिला; लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक-एक, दो-दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है।

वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, तो मियाँ भिंसी के छक्के छूट जाएँ, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुँह छिपाकर जमीन पर लेट जाएँ। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रूस्तमे-हिंद लपक कर शेर की गरदन पर सवार हो जाएगा और उसकी आँखें निकाल लेगा।

मोहसिन ने एड़ी-चोटी का जोर लगाकर कहा- अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता।

हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा- भिंसी को एक डाँट बताएगा, तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा।

मोहसिन परास्त हो गया; पर महमूद ने कुमक पहुँचाई- अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बँधे-बँधे फिरेंगे। तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे।

हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा- हमें पकड़ने कौन आएगा?

नूरे ने अकड़ कर कहा- यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा- यह बेचारे हम बहादुर रूस्तमे-हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे!

मोहसिन को एक नयी चोट सूझ गयी- तुम्हारे चिमटे का मुँह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा; लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया- आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिंसी लेडियों की तरह घर में घुस जाएँगे। आग में कूदना वह काम है, जो यह रूस्तमे-हिंद कर सकता है।

महमूद ने एक जोर लगाया- वकील साहब कुर्सी-मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बाबर्चीखाने में जमीन पर खड़ा रहेगा।

इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया।

कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बाबर्चीखाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है।

हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की- मेरा चिमटा बाबर्चीखाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा।

बात कुछ बनी नहीं। खासी गाली-गलौज थी; लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गयी। ऐसी छा गयी कि तीनों शूरमा मुँह ताकते रह गए। मानों कोई धेलचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया

हो। कानून मुँह से बाहर निकालने वाली चीज हो उसको पेट के अंदर डाल दिया जावे, बेतुकी-सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रूस्तमे-हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है।

विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने तीन-तीन, चार-चार आने पैसे खर्च किए; पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा? टूट-फूट जाएँगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों।

संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा- जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिंसी लेकर देखो।

महमूद और नूरे ने भी अपने-अपने खिलौने पेश किए।

हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी-बारी से सबके हाथ में गया; और उनके खिलौने बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं।

हामिद ने हारने वाले के आँसू पोंछे- मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा; मालूम होता है, अब बोले, अब बोले।

लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है।

मोहसिन- लेकिन इस खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा।

महमूद- दुआ को लिए फिरते हो। उल्टे मार न पड़े। अम्माँ जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले?

हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी, जितनी मेरी दादी चिमटे को देखकर होंगी। तीन पैसे ही में तो उसे सब-कुछ करना था, और उन पैसे के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रूस्तमे-हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह।

रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था।

ग्यारह बजे सारे गाँव में हलचल मच गई। मेले

वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई-बहन में मार-पीट हुई। दोनों खुब रोए। उनकी अम्माँ यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो-दो चाँटे और लगाए।

मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में दो खूँटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भाँति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी, की नहीं। बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं, पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया! फिर बड़े जोर-शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई।

अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गाँव का पहरा देने का चार्ज मिल गया; लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं; जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आयी, उसमें कुछ लाल रंग के फटे-पुराने चीथड़े बिछाये गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठायी और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से 'छोने बाले, जागते लहो' पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं। और उनकी एक टाँग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डाक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है, जिससे वह टूटी टाँग को आनन-फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टाँग जोड़ दी जाती है; लेकिन सिपाही को ज्यों ही

खड़ा किया जाता है, टाँग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टाँग भी तोड़ दी जाती है। अब कम-से-कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टाँग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही संन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा-बैठा पहरा देता है। कभी-कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो, कर सकते हो। कभी-कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है।

अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी।

‘यह चिमटा कहाँ था?’

‘मैंने मोल लिया है।’

‘कै पैसे दिए।’

‘तीन पैसे दिए।’

अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, न कुछ खाया न पीया। लाया क्या यह चिमटा! सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया?

हामिद ने अपराधी भाव से कहा- तुम्हारी उंगलियाँ तब से जल जाती थीं; इसलिए मैंने इसे ले लिया।

बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं, जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया।

और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका बन गयी। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएँ देती जाती थी और आँसू की बड़ी-बड़ी बूँदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। ❖❖

(.....साभार)

**अभी तो हमको करनी है पढ़ाई
मत करवाओ हमसे कसरत और कमाई।**

महादेवी वर्मा

हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्री के रूप ख्याति प्राप्त है। आप हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से प्रमुख मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्री होने के कारण आपको 'आधुनिक मीरा' भी कहा जाता है। आपने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रजभाषा में संभव था। आपने अपने स्वयं के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण आपके गीतों का नाद-सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अपूर्व है। आपने अध्यापन से अपने कार्य-जीवन की शुरुआत की और अंत तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या बनी रहीं। आपको हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रमुख कृतियाँ

कविता संग्रह- नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा।

रेखाचित्र- अतीत के चलचित्र और स्मृति की रखाएँ।

संस्मरण- पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण।

निबंध- शृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध

कहानियाँ- गिल्लू

मन्नू भंडारी

आपका जन्म 03 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गाँव में हुआ था। आपके पिता श्री सुख संपतराय जाने-माने लेखक थे। आपका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था जिसे बाद में लेखन के क्रम में आपने 'मन्नू' रख लिया। आपने एम.ए. तक की शिक्षा ग्रहण किया। आप वर्षों तक मीरांडा हाउस में अध्यापिका रही। धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित उपन्यास 'आपका बंटी' काफी लोकप्रिय हुई जिस पर बाद में 'प्यार झुकता नहीं' नामक फिल्म का निर्माण भी हुआ। आप विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में प्रेमचंद सृजनपीठ की अध्यक्ष भी रही। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला था।

मन्नू भंडारी ने आगे चलकर साहित्यकार राजेंद्र यादव से विवाह कर लिया। आप हिंदी की लोकप्रिय कथाकारों में से एक हैं। नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराइयों को उद्घाटित करने वाले आपके उपन्यास 'महाभोज' पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसी प्रकार 'यही सच है' पर आधारित 'रजनीगंधा' नामक फिल्म भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी जिसे 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त आपको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत अकादमी व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है।

प्रमुख कृतियाँ

कहानी- एक प्लेट सैलाव, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ, श्रेष्ठ कहानियाँ, नायक खलनायक विदूषक

उपन्यास- आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज, स्वामी, कलवा, एक कहानी यह भी नाटक- बिना दीवारों का घर।



महादेवी शर्मा
16.03.1907 ई. - 11.09.1987 ई.
पल्लोवाबाद (उ.प्र.)



सुभद्रा कुमारी चौहान
16.08.1908 ई. - 19.03.1998 ई.
इलाहाबाद (उ.प्र.)



मनु भट्टागरी
03.04.1911 ई.
भदोही (म.प्र.)



कुष्णा सोबली
16.12.1923 ई.
गुजरात (गर्भस्थान)



आपके साथ सफ़र कर रहा मुसाफ़िर एक मानव तस्कर भी हो सकता है।

आइये हम और आप मिलकर **मानव तस्करी** के खिलाफ़ कदम उठाएं।

मानव तस्कर और पीड़ित की पहचान कैसे करें

- वे बच्चे कुपोषित और कमज़ोर दिखाई सकते हैं
- इनसे सहीर पर मोटा या कुंठित हो पता चल सकता है
- बच्चे का व्यवहार अपने उम्र का रहे नाहित वो इति विशिष्टता हो सकता है
- तस्कर अपनी पहचान बचाने का दिखाने में कसब करता है

सभी यात्रियों से भारतीय रेल की अपील

- अगर आपको मज़दूरी आसानी सहित यात्रा पता है
- कोई बच्चा या महिला रेल में या स्टेशन पर आपसे मदद की गुहार लगा रहा है
- अगर आपको रेल या रेल परिसर में महिलाओं या बच्चों का कुछ किसी अविश्वसनीय व्यक्ति से साथ दिखाई देता है

तुरन्त रेलवे हेल्पलाइन 182 (टोल फ्री) पर कॉल करें।

राज्य पुलिस को साथ-साथ रेलवे कमिश्नरी, संबंधित MCO की मदद तुरन्त आप तक पहुंचेगी।
अगर आप पता कर रहे हैं, तो अपने स्टेशन पर आपको सहायता देकर मिलेगी।

रेलवे हेल्पलाइन : 182, पुलिस हेल्पलाइन : 100



भारतीय रेल

Visit us at www.indianrailways.gov.in

Follow us on       

श्री पुरुषोत्तम दास शर्मा, मुख्य राजभाषा अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रकाशित